हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2016 को माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

9.3.2016/1100/av/dc/1

<u>प्रश्न संख्या : 2111</u>

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2016-17 के बजट सत्र की नोटिफिकेशन हुई और उसकी सूचना मिलने के बाद मैं शिमला अपने निवास स्थान पर पहुंचा तो मुझे सबसे पहले 24 तारीख को पोस्टपोन क्वैश्चन प्राप्त हुआ था कि यह 9 तारीख को लगाया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा कि इस प्रश्न का यह पांचवा सत्र होगा। मैंने यह प्रश्न इससे चार सत्र पहले किया था। उस समय भी यही कहा गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। उसके बाद उसी सत्र के लास्ट वीक में यह प्रश्न फिर से लग गया और उसमें भी यही उत्तर आया कि अभी भी सूचना एकत्रित की जा रही है। मोनसून सत्र में भी यही जवाब आया कि अभी भी सूचना एकत्रित की जा रही है। धर्मशाला में आयोजित हुए शरदकालीन सत्र में भी यही कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आज फिर से वही जवाब आया है कि सूचना एकित्रत की जा रही है। सिर्फ इसमें दो शब्द 'अभी भी' काट दिए हैं। यह सरकार पिछले तीन-साढ़े तीन साल से सत्ता में है। मेरा इसी से लिंक्ड प्रश्न पहले भी लगा था कि आपने कितने-कितने अतिरिक्त ऐडवोकेट जनरल, ऐडवोकेट जनरल की अप्वाईंटमैंट की है। उस प्रश्न के जवाब में डेढ़ साल का समय लग गया था। जब उसके बारे में सूचना आई थी तो बताया गया था कि कुल 26 भर्ती किए। 26 में से 5 दूसरे जिलों के थे जिसमें दो मंडी जिला, (---व्यवधान---)

उपाध्यक्ष : आप इस प्रश्न के बारे में पूछिए।

श्री रविन्द्र सिंह : दो कांगड़ा जिला और एक कहीं का तथा 21 विशेष जिला से थे। अब तो आर.टी.आई. का जमाना है। मैंने प्रश्न के 'क' भाग में पूछा था कि गत दो वर्षों में (1.1.2013 से 31.3.2015 तक) प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मामलों की हिमाचल प्रदेश उच्च

न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी हेतु प्रदेश के बाहर के कौन-कौन से अधिवक्ताओं को नियुक्त किया; ब्यौरा अधिवक्ता के नाम, पते व मामलेवार दें। इन अधिवक्ताओं को प्रति केस व पेशीवार कितनी-कितनी फीस दी गई; प्रश्न के 'ख' भाग में यह पूछा गया था। यह कितनी लम्बी सूची है? सरकार यह कह रही है कि हमने बहुत कुछ किया है, यहां पर पिछले तीन सालों का रिकॉर्ड दोहरा दिया मगर प्रश्न का जवाब देने में सरकार आनाकानी कर रही है। मुझे तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला लगता है। इसमें निश्चित तौर पर कुछ-न-कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। वहां पर अधिवक्ताओं को गलत ढंग से पेमैंट दी गई है। हम उस बारे में यहां पर सारी सूचना चाहते हैं। सारे प्रदेश की जनता के पैसे को यहां पर अधिवक्ताओं को मस्ती करने के लिए लुटाया जा रहा है। यह इस प्रदेश की जनता के लिए ठीक नहीं है। हमें इसका जवाब चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत) : उपाध्यक्ष जी, सरकार इस सूचना को एकत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है। यह सूचना काफी लम्बी है क्योंकि इन्होंने नाम, पते और मामलेवार सूचना मांगी है कि किस-किस को कितनी-कितनी फीस दी गई। सरकार की कोशिश होगी कि इसका जवाब इसी सत्र में दे दिया जाए।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने बोल दिया है कि इस प्रश्न का जवाब इसी सत्र में दे देंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी आज जवाब दे दें। कल माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे तो वे कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं था। (---व्यवधान---) उनकी मुकरने की आदत रही है, यह मुझे मालूम है।

उपाध्यक्ष : इस प्रश्न के बारे में आ गया है कि इसका उत्तर इसी सत्र में दे दिया जायेगा। (---व्यवधान---) मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं कि आप यह कोशिश करें कि इस प्रश्न का जवाब इसी सत्र में आ जाना चाहिए।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष जी, अब 'कोशिश' की बात नहीं होनी चाहिए।

9.3.2016/1100/av/dc/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हर प्रश्न का जवाब इनकी संतुष्टि के मुताबिक दिया जाए। हम किसी प्रश्न का कोई आधा-अधूरा जवाब नहीं देना चाहते हैं---

टी सी द्वारा जारी

09/03/2016/1105/TCV/DC/1

प्रश्न संख्या 2111---- क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी....

इसलिए मैंने कहा है कि इसका जवाब इसी सत्र में देने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्षः मैंने कह दिया है, इसी सत्र में इस प्रश्न का जवाब देंगे। यह सुनिश्चित हो गया है। माननीय सदस्य मैंने डायरेक्शन्ज दे दी है कि इसी सत्र में जवाब देंगे। प्लीज आप बैठ जाईये। Next question please. __(interruption)-- I am not allowing you. Please sit down. --(व्यवधान)-- इसमें डायरेक्शन्ज़ हो गई है। You are wasting the time of others. Please sit down. I have already given the directions that this question will be answered during this session. Next question please.

09/03/2016/1105/TCV/DC/2

Deputy Sepaker: Next question No. **2760** - Shri Ram Kumar.

Absent (Sh. Ram Kumar)

09/03/2016/1105/TCV/DC/3

प्रश्न संख्याः 2761

श्री विक्रम सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न 9-3-2016 को लगा है इससे पहले यही प्रश्न 1763 नम्बर से 25-03-2016 को लगा था। यह विषय मेरे से पहले माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने उठाया था। उपाध्यक्ष महोदय, या तो सूचना आती ही नहीं है, यदि आती है तो आधी-अधूरी सूचना दी जाती है या फिर सूचना गलत आती है। इस प्रश्न में मैंने पूछा था कि 'गत तीन वर्षों में जसवां-प्रागपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी ऐसी सड़कें हैं जिन्हें वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के अन्तर्गत स्वीकृति नहीं मिली है, ब्यौरा सड़कवार दें' इन्होंने अपने जवाब में पहली दो सड़कें ऐसी बताई है जिन्हें स्वीकृति मिल गई है। लेकिन मैंने तो यह पूछा ही नहीं है। मैंने तो यह पूछा है कि एफ0सी0ए0 की स्वीकृति कितनी सड़कों को मिल गई है? इसके अतिरिक्त जो तीसरा जवाब दिया है, वह इन्होंने दिया है कि निर्माणाधीन वीहण पंचायत से मचकुंड महादेव मन्दिर सड़क । लेकिन ये तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़क ही नहीं है, ये तो देहरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। इसके अलावा जो पिछली बार सड़के मैंशन की गई थी, उसमें चपला-सरद डोगरी वाया कुकार-लडोआ, सम्पर्क मार्ग हरिजन बस्ती-पुन्नी, शान्तला पटयार सड़क, स्लेटी-भिंडला सड़क थी। इनमें से चारों की चारों सड़कों की कोई इन्फर्मेशन नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है? विभाग की ओर से अगर गलत उत्तर आये हैं तो विभाग के ऊपर क्या कोई ऐक्शन किया जायेगा, और जिन सड़कों के बारे में उत्तर नहीं आये हैं, क्या इसका जवाब मिल पाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत)ः उपाध्यक्ष महोदय, हमने बड़ा स्पष्ट किया है और 7 सड़कों का विस्तृत रिप्लाई, जो सूचना सभापटल पर रखी है, उसमें दे दी है। उसमें 2 सड़कें ऐसी है जिनको फॉरेस्ट क्लीयरेंस (FCA) मिल गई है और इसकी Net Forest Value भी सरकार ने जमा करवा दी है। उसमें एक सड़क जो दे दी गई है, उसमें 43,15,066/ रूपये जमा कर दी गई है। लेकिन अब वन मण्डल देहरा ने कहा है कि अंतिम स्वीकृति लेने के लिए 3,91,890/- रूपये अतिरिक्त धनराशि भी दे दी जाये।

विभाग ने फैसला किया है कि यह राशि भी वन विभाग को जल्दी ही दे दी जाएगी। इस तरह से इनकी यह सड़क अप्रूव हो चूकी है। दूसरी

09/03/2016/1105/TCV/DC/4

सड़क में भी 25,99,805/- रूपये की धनराशि जमा करवा दी है और इस सड़क की भी इनको अप्रूवल मिल चुकी है। बाकी सड़कों की हाल उपाध्यक्ष महोदय यह है कि

श्री आर0के0एस0 द्वारा प्रश्न----जारी

9.03.2016/1110/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2761...क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा ...जारी

वीहण पंचायत से मचकुण्ड महादेव मन्दिर ये सड़कें आपकी नहीं है। परन्तु आपको क्या ऐतराज है अगर ये सड़कें भी बन जाएं? हमने इन सड़कों के लिए फोरैस्ट केस बना दिया है। एफ.आर.ए. केस ग्राम पंचायत, ग्राम सभा से मिल चुका है। इसमें हमारी कोशिश होगी की जल्दी से जल्दी इसकी डी.पी.आर. एप्रूव कर दी जाए और एफ.सी.ए. लिंक रोड़ कोडी टू टिपरी - stage I of road - the road was constructed under PMGSY without forest approval. The area involved is less than one hectare. Now, forest case is being prepared for stage II under PMGSY. I am happy to announce that now the Government has taken a decision that for 1X1 hectare of forest land, the permission will be given by the DFO concerned of that area. So, I think this road will also be cleared.

Guraldhar Nangal via Patti Road is eligible in PMGSY. FRA certificate has been received. Forest case is being prepared. If the land involved in it is more than one hectare then the case will go to Dehradun and if it is less than one hectare then the DFO concerned will be giving the certificate.

Vadhal to Woohala Road is proposed under NABARD. FRA certificate

has been received. Forest case is being prepared. Forest area involved in it is 0.19 hectares. 1.33 hectares land falls under Industrial Growth Centre, Vadhal. For this land NOC has been demanded from the General Manager, Dharamshala in October, 2015 by HPPWD. NOC is still awaited.

Similarly, Sir, forest land involved in Varnali to Upper Nari Road is 1.45 hectares. FRA case was sent to SDM, Dehra on 27th June, 2015 who has recommended the same to DC, Dharamshala on 27.01.2016. FRA certificate is awaited. Inspection was conducted in May, 2015. Forest case is being prepared.

9.03.2016/1110/RKS/AG/2

It would not be out of place to mention here that the Deputy Commissioners give two certificates. If the panchayat gives resolution that it has no objection then FRA case is sent to the Deputy Commissioner. Deputy Commissioner has to give FRA certificate and Deputy Commissioner has also to give a certificate that no other land is available for construction of this road. So, Government is asking all the Deputy Commissioners of the State to give these two certificates at the earliest as soon as they are received from the field. I assure you that it would be the endeavour of the Government that these cases are processed at the earliest and get the forest clearance so that the work could be started smoothly.

उपाध्यक्षः श्री बिक्रम सिंह।

श्री बिक्रम सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, जो उत्तर माननीय मंत्री जी वर्ष 2016 में दे रहे हैं, यही उत्तर वर्ष 2015 का भी है। मेरे पास इसकी प्रति है। केस जा रहा है, केस बन रहा

है, केस आगे जाएगा वही जवाब इस बार भी आया है। मैंने बीच में आपसे यह भी पूछा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो पूरी सड़कें फोरैस्ट क्लियरेंस के लिए गई हैं, उनकी पूरी जानकारी इस बार के प्रश्न में नहीं हैं। 4 सड़कें इसमें मैन्शन नहीं हैं। इन सड़कों के नाम मैंने आपको बताए हैं। आप इन सड़कों का उत्तर भी दे दीजिए। चपलाह से सरड डोगरी वाया कुफर लडोआ, इस उत्तर में यह नाम मैन्शन नहीं है। परन्तु पिछली बार यह नाम उत्तर में मैंशन था। उसके बाद सम्पर्क मार्ग हरिजन बस्ती पुननी, इसका नाम भी इस बार मैन्शन नहीं है। शांतला- पटियार, स्लेटी -बिंडला चार सड़कें ऐसी हैं जो वर्ष 2015 के जवाब में थी परन्तु इस वर्ष 2016 के जवाब में इनका जिक्र नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय इन चार सड़कों का जिनका नाम इस वर्ष के उत्तर में मैन्शन नहीं है, के बारे में जवाब देंगे?

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

9.03.2016/1110/RKS/AG/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन सड़कों का नाम उत्तर में मैन्शन नहीं हुआ है तो मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि

श्री एस.एल.एस. द्वारा... जारी

09.03.2016/1115/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 2761 ...जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी

कि जल्दी-से-जल्दी एफ.सी.ए. क्लीयरैंस कर दी जाए और उसके लिए जो भी फौरमैलिटीज पूरी करनी होंगी, वह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि ज्यादा-से-ज्यादा

<u>सड़कें बनें और ज्यादा किलोमीटर सड़कें अपग्रेड हों। जिन सड़कों का आपने हवाला दिया है, उनके लिए विभाग को कहूंगा कि जल्दी-से-जल्दी उनकी डी.पी.आर. तैयार करें।</u>

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनकी देहरादून से स्वीकृति मिल गई है; जिनका केवल एन.पी.वी. जमा होनी है? मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की एक रीडा बोरू सड़क है जो कि स्वीकृत है लेकिन अभी तक पी.डब्ल्यु.डी. ने उसका एन.पी.वी. जमा करवाना है; इसको कितने समय के भीतर जमा कर दिया जाएगा?

Health Minister: This is not a relevant question. <u>But I say that the Department is committed to deposit the NPV wherever it is required keeping in view of our resources.</u>

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ब्रीफ में ही कहता हूं। पहले प्रश्न में गड़बड़ थी, इसलिए ऐसी बात हुई। यहां पर मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि अब डी.एफ. ओ. को एक हैक्टर तक क्लीयरैस की शक्तियां दे दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डी.एफ.ओ. कंसंर्ड ने जो एफ.सी.ए. की क्लीयरैंसिज देनी हैं उसमें नियम और शर्तें क्या-क्या रखी गई हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फौरमैलिटीज हैं जैसी कि जानकारी प्राप्त हुई है? क्या आप उन फौरमैलिटीज को भी सीमित करेंगे? इसके साथ ही जो बड़े पुराने वॉयलेशन के केसिज बने हैं, जो पूरे प्रदेश में लगभग 3000 हैं, उनमें देहरा डिविजन के भी हैं, जैसे यह 11-12 सड़कें आगे नहीं गई हैं, यह सब वॉयेलेशन के केसिज हैं। क्या जो ऐसे

केसिज वन विभाग के पास पड़े हैं उनको भी डी.एफ.ओ. द्वारा स्वीकृति की इस नई योजना में शामिल करेंगे?

Health Minister: Sir, we will have to examine whether this order applies from the retrospective date or prospective date. If it is prospective then those violation cases will not be covered under the notification which has been issued. **लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितने भी वॉयलेशन के केसिज हैं क्योंकि कुछ केसिज हाई कोर्ट में भी गए थे, हाई कोर्ट ने भी डायरैक्शन दी थी, उन केसिज को रैगुलराईज करने के लिए विभाग और सरकार पूरा प्रयास कर रहे हैं।**

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कारगिल युद्ध के सबसे पहले शहीद मेरे विधान सभा क्षेत्र से बरजिन्दर सिंह थे। जब वह शहीद हुए तो आदरणीय धूमल जी और मैं उनके घर में पैदल गए थे।

Deputy Speaker: What is your question?

श्री रविन्द्र सिंह: यह उसी से संबंधित है। जहां तक लोगों की ज़मीन पड़ती थी वहां तक वह सड़क बन गई, उसके आगे थोड़ा जंगल आ गया और फिर उसमें किसी ने काम नहीं किया, विभाग ने भी काम नहीं किया। उसको भी वन विभाग ने एफ.सी.ए. में डाल दिया है, वॉयलेशन में डाल दिया है। क्या ऐसे केसिज में, जहां पर काम नहीं हुआ है और वॉयलेशन में डाल दिया है उनको भी डी.एफ.ओ. द्वारा स्वीकृति की एक हैक्टेयर की इस स्कीम में कवर करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कानून या रूल-रैगुलेशन, अगर उसमें प्रावधान हो कि it will apply with retrospective effect तब तो जहां वॉयलेशन हुई है वहां लागू

होगा, अगर नोटिफिकेशन में विद परस्पैक्टिव इफैक्ट है तो बैक डेट की वॉयलेशन में वह लागू नहीं होगा। **लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है और सरकार कोशिश कर रही है। जहां-जहां**

09.03.2016/1115/sls-ag-3

वॉयलेशन हुई है, उनको रैगुलर करने के लिए एफ.सी.ए. केस बनाने के लिए हमने विभाग को और वन विभाग को कह दिया है।

Deputy Speaker: I am not allowing you now (Shri Ravinder Singh). आपने पूछना है या नहीं, अन्यथा मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा?

श्री जय राम ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आपने जो डी.एफ.ओ. के माध्यम से एक हैक्टेयर की बात की है, अभी ऐन्वल प्लानिंग की मीटिंग में भी यह मसला उठा था और वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार का प्रावधान है। लेकिन सच्चाई क्या है? नीचे कोई भी डी.एफ.ओ. इस बात में हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई यह है। जो बातें कही जा रही हैं, मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन पॉवर्ज़ का आप ज़िक्र कर रहे हैं,

जारी ..गर्ग जी

09/03/2016/1120/RG/AS/1

प्रश्न सं. 2761---- क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर----क्रमागत

कि ये पॉवर्ज डी.एफ.ओ. को दी गई हैं। तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में कितने मामले ऐसे हुए जहां एक हैक्टेयर जो डी.एफ.ओ. की पॉवर में है, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उसके अन्तर्गत इनके क्लीयरेंस की इजाजत दी है कि इन मामले में अनुमति दी जाए या स्वीकृति दी जाए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यह नोटिफिकेशन अभी हाल ही में हुई है। उसके बाद, जो स्कूल बिल्डिंग, अस्पतालों की या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बिल्डिंग या सरकारी कार्यालयों को बनाने की बात है, इनके लिए अलॉऊ किया है। जहां सड़कों में एक हैक्टेयर से नीचे ही फॉरेस्ट लैण्ड आती है उन पर भी यह लागू होगा। उसमें बहुत शर्तें हैं, **लेकिन सरकार वन विभाग को यह निर्देश देगी कि जो नोटिफिकेशन हुई है उसको कार्यान्वित करे और जो संबंधित डी.एफ.ओज़ हैं वे बाकायदा फॉर्मल्टीज पूरी करके उसका प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग या जिस विभाग से भी संबंधित मामला हो, उसको दे।**

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट में जो यह छूट दी है कि एक हैक्टेयर तक के मामले डी.एफ.ओ. निपटा सकता है, तो क्या यह प्रदेश सरकार का फैसला है या केन्द्र सरकार का फैसला है? इसके अतिरिक्त क्या इस निर्णय या ऑर्डर की कॉपी मंत्री महोदय सभा के पटल पर रखेंगे?

Health & Family Welfare Minister : Deputy Speaker, Sir, Forest (Conservation) Act, 1980 is passed by the Ministry of Forest and Environment और पहले इसके तहत प्रदेश सरकार को एक हैक्टेयर तक के मामलों की पॉवर दी गई थी। लेकिन बाद में वह पॉवर विदड्रॉ कर ली गई। अब भारत सरकार ने फिर एक हैक्टेयर तक की पॉवर डी.एफ.ओ. को दी है ताकि जो सरकारी भवनों आदि के मामले हैं वे जल्दी हल किए जा सकें। इसके अतिरिक्त हमारी भी

09/03/2016/1120/RG/AS/2

कोशिश है। आपको पता है कि जब आपकी सरकार थी, तो इस फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के कारण पांच साल में कोई भी डी.पी.आर. नहीं बनी क्योंकि हमारे क्षेत्र में अधिकतर जंगल-ही-जंगल हैं। यह एक्ट सब पर लग जाता है। इसीलिए यह जो एक

हैक्टेयर तक की पॉवर दी है, एफ.आर.ए. के तहत डी.एफ.ओ. को एक हैक्टेयर तक की पॉवर दी गई है और इसकी नोटिफिकेशन की कॉपी निश्चित तौर पर हम सभा के पटल पर रख देंगे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, यदि भारत सरकार ने अनुमति दी है, तो कब दी और यह किस डेट से लागू हुई?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि एफ.आर.ए. के तहत एक हैक्टेयर तक की परमीशन अलॉऊ की है। किस डेट में दी है, तो जब मैं नोटिफिकेशन की कॉपी सभा पटल पर रखूंगा तब देख लें। तो यह मेरे पास न नोटिफिकेशन है, to tell you very frankly, प्रोफैसर साहब, यह कॉपी सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

09/03/2016/1120/RG/AS/3

प्रश्न सं. 2762

श्री खूब राम : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें कहा गया है कि बसें चलाने के लिए केवल 15 सड़कें पास कर दी गई हैं और केवल 6 पर ही बसें चली हैं और बाकी पर नहीं चल रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये बसें कब दी जाएंगी या कब चलाई जाएंगी? हमारा आनी, निरमंड का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी तक 9 रूट्स ऐसे हैं जिन पर बसें नहीं चल रही हैं। तो कब तक इन पर बसें चला दी जाएंगी? माननीय मंत्री जी दिलेर हैं मुझे लगता है कि इन रूट्स पर ये जल्दी ही बसें मुहैया कर देंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, आनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 15 सड़कें बसें चलाने के लिए पास हुई हैं जिनमें निम्नलिखित 6 सड़कें शिगार से तराला 2 किलोमीटर है और इस सड़क पर बस चलना शुरू हो गई है, करशाईगढ़ से करशाला 5 किलोमीटर है इस पर भी बस चल पड़ी है, चोवई से टिपर

2.100 किलोमीटर है इस पर भी बस चल पड़ी, रूना से जंडुवा 5.100 किलोमीटर है इस पर भी बस चल पड़ी है।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

09/03/2016/1125/AS/MS/1

`

प्रश्न संख्याः 2762 क्रमागत----

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी-------

(व्यवधान) मैं आगे भी पढ़ रहा हूं, खजीर-बओलि से जुंदु तीन किलोमीटर, समेच से सपारा आठ किलोमीटर और अन्य नौ सड़कें हैं जिन पर अभी बसें नहीं चल रही हैं। उनमें पहली सड़क की लम्बाई पांच किलोमीटर है, दूसरी की तीन किलोमीटर है, फिर दो सड़कें दो-दो किलोमीटर की हैं और फिर एक सात किलोमीटर की है तथा इसी तरह आगे भी हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इनमें छोटी बसें यानी 37 सीटर बसें चलेंगी । छोटी बसें अभी तक हमारे पास नहीं हैं। इनके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई हैं और जैसे ही बसें खरीद लेंगे, वहां दे देंगे। लेकिन तब तक, अगले 10 और 15 दिन के अंदर जो तीन या दो-दो किलोमीटर तक की सड़कें हैं इनमें और अगली नौ सड़कों में से भी चार सड़कें कवर हो जाएंगी तो उनके ऊपर बसें चलाने के लिए आपको आश्वास्त करता हूं। जैसे ही नई बसें आ जाएंगी, आपके वहां बसिज चला दी जाएंगी।

श्री खूब रामः उपाध्यक्ष जी, पिछली सरकार के इनके समय में एक ही रूट हमारे निरमण्ड क्षेत्र में था जहां पर लौंग रूट की बस चलती थी और वह रूट बागीपुल-परयाणा था। अभी तक वह बस वहां शुरू नहीं हुई है। आनी चुनाव क्षेत्र के अंदर निरमण्ड सबसे बड़ा गांव है और वहां के लिए लौंग रूट की कोई बस नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप उस बस को बहाल करेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, यह बस काफी समय पहले बंद हो गई थी। वास्तव में कई बसों में इन्कम अभी भी काफी कम हो रही है। मगर

जरूरत को देखते हुए और विधायक महोदय से चर्चा करके फिर इसको चालू करने के ऊपर विचार करेंगे।

09/03/2016/1125/AS/MS/2

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है उसमें निश्चित रूप से यह कहा गया है कि नौ सड़कें ऐसी हैं जहां छोटी बसें चलेंगी और 37 सीटर बस जब उपलब्ध होगी, तब दे दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि पासिंग का दायित्व एक कमेटी के पास है। जब ये सड़कें पास की गई थीं तब आपने 37 सीटर बस भेजी थी या कौन सी भेजी थी? तब ये सड़क पास हो गई और अधिकांश सड़कें इनमें से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हैं या कोई नाबार्ड की हैं। इसलिए निश्चित रूप से वे सड़कें इतनी तंग नहीं हो सकती क्योंकि उसके नॉर्म्ज हैं। वे सड़कें पूरी हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने पासिंग के लिए अपने लोग भेजे थे तब कौन सी बस पासिंग के लिए गई थी? क्या कारण है कि अब वह बस उस पर नहीं चल रही है और कब तक चलेगी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, हमने उस वक्त पासिंग के लिए 37 सीटर बस ही भेजी थी। -(व्यवधान)- अगर बड़ी बस गई है तो फोटो दिखा देना। मैं तो विधान सभा में आपको जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं कि 37 सीटर बस पासिंग के लिए गई थी।

उपाध्यक्षः कृपया मंत्री जी को बोलने दीजिए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, मगर आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां पर बस पास हो गई है मगर वास्तव में वहां बस चलाने में दिक्कत आ रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोड सेफ्टी को देखते हुए ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं कि वहां बड़ी बस भेज दें और कोई दिक्कत आ जाए। अब महेश्वर सिंह जी और खूब राम जी दोनों ही माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं एक बार

एस0डी0एम0 और आर0टी0ओ0 की अध्यक्षता में बड़ी बस भेजकर उसको दुबारा से एक बार चैक करवा देता हूं। अगले 10 दिन के अंदर उसको एक बार दुबारा से चैक करवा देंगे। -(व्यवधान)-

09/03/2016/1125/AS/MS/3

प्रश्न संख्याः 2763

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः उपाध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसके बारे में, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में ,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

09.03.2016/1130/जेएस/डीसी/1
प्रश्न संख्या 2763.....जारी----------

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः---------**जारी**--------

जो लो वोल्टेज प्रॉब्लम और अनइलैक्टिफाई जो न्यू सैटल्ड बस्तियां हैं, they are quite more in number, इसलिए माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि इसको कवर करने के लिए कौन-कौन से प्रोजैक्ट्स चले हुए हैं?

दूसरे, नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र का जो टारगेट है वह जितना होना चाहिए था वह कम्पेरेटिवली कम है और अचीवमैंट्स उससे भी ज्यादा कम है। माननीय मंत्री जी यह आश्वस्त करें कि अगली साल इसका टारगेट बढ़ाएंगें और जो अचीवमैंट्स हैं वह 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, नालागढ़ चुनाव क्षेत्र के लिए 22/11 KV H.T. Line (New) अचीवमैंट 1.550 Km. Upto 31.1.2016. No.2 22/11 KV

H.T. Line (Aug/Re-cond.) अचीवमैंट 4.920 Km. माननीय सदस्य जी आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः माननीय मंत्री जी, ये कार्य किस-किस प्रोजैक्ट्स के तहत चल रहे हैं और कौन-कौन से प्रोजैक्टस हैं? इनको कवर करने के लिए प्रोजैक्ट्स/स्कीमों के नाम क्या-क्या हैं? कितना-कितना टारगेट्स हैं और कितनी अचीवमैंट्स है वह तो आपने बता दिया है? आप हमें बताओ कि कौन-कौन सी स्कीमें हैं?

MPP and Power Minister: One is GSC CAPEX Plan Scheme circle wise and second is Deen Dayal Upadhyaya Gram Joyti Yojana (DDUGJY) and Integrated Power Development Scheme(ITPS).

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः इसमें मैं एक प्रश्न यह भी पूछन चाहता हूं, जो सभी विधायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नॉरमली जो यह लो वोल्टेज की प्राब्लम

09.03.2016/1130/जेएस/डीसी/2

है या कोई अन्य प्राब्लम आती है वह सारी की सारी विधायकों के पास आती है । क्या उस बारे में विधायकों से पूछा जाता है? अगर नहीं पूछा जाता तो क्या भविष्य में पूछा जाएगा? इस बारे में माननीय मंत्री जी आश्वासन दें और जैसे कि मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि जो न्यू बिल्ट अप एरियाज हैं जो एच.टी. लाईन के नीचे आ गए हैं क्या उनको शिफ्ट करने का CAPEX Plan के तहत प्रोविजन होता है ।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, हमारे पास पैसा पूरा आ चुका है और काम चला हुआ है। इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है और यह काम जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनके सुझाव लेंगें?

बहुउद्देश्यीय परियाजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, ठीक है, इनको पूछ लेंगें।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः माननीय मंत्री जी, क्या आप हम सभी के सुझाव लेंगें। क्योंकि यह समस्या सभी जगह है। विधायकों को पूछा नहीं जाता कि कहां काम करना है।

बहुउद्देश्यीय परियाजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः जब इनका प्रश्न आएगा तो इनसे पूछूंगा। जो विधायक हमारे पास आता है हम उसका काम कर ही लेते हैं और उनसे भी पूछ लेंगें।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः उपाध्यक्ष जी, हम माननीय मंत्री जी से ढंग से आश्वासन चाहते हैं।

बहुउद्देश्यीय परियाजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः ठीक है, मैं आश्वासन देता हूं।

09.03.2016/1130/जेएस/डीसी/3

श्री बिक्रम सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री जी बात नहीं समझे। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अंदर बिजली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। कहीं पर नया ट्रांसफार्मर लगना है, कहीं पर कोई एच.टी. लाईन जा रही है, उसको शिफ्ट करना है । कृष्ण लाल ठाकुर जी के कहने का मतलब यह है कि जिस समय आप इस प्रकार की स्कीमें बनाते हैं तो क्या माननीय विधायकों से पूछकर ये स्कीमें बनाई जाएंगी? उनके क्षेत्र में जो समस्या है, उसको सुना जाएगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, यह तो फ्यूचर की बात है। इस वक्त अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता दें। अगर आपको इस समय कोई समस्या है जिसके बारे में आप समझते हैं कि आपको पूछा जाना चाहिए तो हम आपसे पूछ लेंगें।

09.03.2016/1130/जेएस/डीसी/4

प्रश्न संख्याः 2764

श्री विजय अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कब तक सूचना एकत्रित कर ली जाएगी? मैं एक बात आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जब सरकार बजट की तैयारी करती है और बजट पेश करती है तो डिपार्टमैंटस, बोर्डज़, और निगमों की वित्तीय हालत की जानकारी लेती है कि क्या उनकी वित्तीय स्थिति है ताकि उससे पता लग सके कि उनको किस-किस चीज की आवश्यकता है? बजट सत्र में प्रश्न यह है कि बोर्डज़ और निगम की वित्तीय स्थिति क्या है, कौन घाटे में चल रहा है और कौन फायदे में चल रहा है?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

09.03.2016/1135/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 2764 क्रमागत

श्री विजय अग्निहोत्री क्रमागतः

अगर यह सरकार को पता नहीं है तो वह बजट में क्या करती है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि यह प्रश्न काफी लम्बा-चौड़ा है। एक तो इसमें सभी बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के टी0ए0/डी0ए0 का कितना खर्चा है पूछा गया है। दूसरा यह पूछा गया है कि कौन-कौन से बोर्ड घाटे में हैं व कौन से मुनाफे में हैं। तीसरा, कितना घाटा और मुनाफा है इसके बारे में पूछा गया है। इस करके यह काफी लम्बी सूचना है। **निश्चित तौर पर सूचना को एकत्रित किया जा रहा है। जैसे ही सूचना एकत्रित होगी, उसके अनुसार आपको जवाब दे दिया जायेगा। हम आपको कम्प्लीट जवाब देना चाहते हैं। अधूरा जवाब नहीं देना चाहते।**

उपाध्यक्षः इसमें सूचना एकत्रित की जा रही है, आप इसमें क्या पूछना चाहते हैं?

श्री विजय अग्निहोत्रीः क्या मंत्री जी इसी सत्र में इसका जवाब देने का आश्वासन देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्न काफी लम्बा है लेकिन फिर भी विधान सभा लगायेगी तो निश्चित तौर पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको जवाब दे दिया जाए।

09.03.2016/1135/SS-DC/2

प्रश्न संख्याः 2765

श्री किशोरी लालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसके मुताबिक दर्शाया गया है कि बड़ा भंगाल क्षेत्र में मिट्टी का तेल 4040 लीटर पहुंचा दिया गया है। लेकिन लोगों की शिकायत है कि मिट्टी का तेल बड़ा भंगाल क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। बड़ा भंगाल का क्षेत्र 6 महीने बर्फ से ढका रहता है और वहां के लोगों के लिए मिट्टी का तेल पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में क्या मंत्री जी एंश्योर करेंगे कि वहां मिट्टी का तेल पूर्ण मात्रा में भिजवाया जाये?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माह जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक 280 लीटर प्रति माह तथा जनवरी, 2016 से फरवरी, 2016 तक 340 लीटर प्रति माह यानी कुल 4040 लीटर मिट्टी का तेल बड़ा भंगाल क्षेत्र के लोगों को आबंटित किया गया है। ऑलरेडी 4040 लीटर मिट्टी का तेल पहुंचाकर आबंटित कर दिया गया है।

श्री किशोरी लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि बड़ा भंगाल के लोगों को कहां मिट्टी का तेल उपलब्ध हुआ? क्या बड़ा भंगाल में दिया गया या

किसी दूसरे स्थान पर दिया गया?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला कांगड़ा में बड़ा भंगाल क्षेत्र के लोग सर्दियों में बीड़ नामक स्थान को पलायन कर जाते हैं। बड़ा भंगाल क्षेत्र के उपभोक्ताओं का राशन व मिट्टी का तेल बीड़ स्थित कृषि सहकारी सभा, बीड़ द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उस सहकारी सभा उचित मूल्य की दुकान के पास बड़ा भंगाल क्षेत्र में 145 राशन कार्ड रजिस्टर्ड हैं। बड़ा भंगाल क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। जिसकी डिटेल उपलब्ध है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इनको पूरी डिटेल दे सकता हूं। वहां पर 4040 लीटर मिट्टी का तेल दे चुके हैं। अगर माननीय सदस्य कोई परटीकुलर पूछना चाहते हैं तो मुझे बता दें।

श्री किशोरी लालः उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा भंगाल के कुछ लोग सर्दियों में भी बड़ा भंगाल ही रहते हैं। क्या सरकार उन्हें वहां मिट्टी का तेल पहुंचायेगी?

09.03.2016/1135/SS-DC/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ये मामला अभी-अभी मेरे ध्यान में ला रहे हैं कि कुछ लोग वहीं रूक जाते हैं। **जो लोग रूके हैं अगर उन्होंने अपना कोटा दूसरी जगह से नहीं लिया तो निश्चित रूप से हम इनको यह सुविधा देंगे।**

09.03.2016/1135/SS-DC/4

Question No.: 2766

Shri B.K. Chauhan: The information laid on the Table of the House is about starting the work of all these roads and assurance has been given to complete these works within one year period.

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2016/1140/केएस/एजी/1

Question No. 2766 Continued . . .
Shri B.K. Chauhan Continued . . .

First of all, I am very unhappy that the work itself has started after four years. The foundation stones of these roads were laid down by the previous Government and the work has been started recently. I am still doubtful that these roads may not be completed within this year. However, another point I want to make out here that इन सड़कों के जो शिलान्यास हुए थे, उनको मैं असामाजिक तत्व तो नहीं कहूंगा लेकिन स्पष्ट रूप से कहूंगा कि नई सरकार आने के बाद जो शिलान्यास पट्टिकाएं थीं, सभी को तोड़ दिया गया। उनका कोई पता नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं यहां पर मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि जब ये रोड्ज़ कम्पलीट होंगे, उनको कम्पलीट करने से पहले जो फाऊंडेशन स्टोन्ज़ जहां-जहां पर लगे थे, वहां पर पुनः उनको रीस्टोर किया जाएगा? उसके बाद अगर उद्घाटन करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

Health & Family Welfare Minister: Deputy Speaker, Sir, I think the Hon'ble Member is not aware of this fact that the work on Sirna road had been started in February, 2013 when our Government had already come to power. The reason for delay is the land disputes and falling of cutting debris on Chamba Bharmour Highways. So debris was taken to the Tipper and then to the distant place. But our effort would be that this road may be completed at the earliest. He is quite lucky that all these roads are being completed.

Similarly, Sir, the work of Machayadi Panjla road has been started during April, 2015 i.e. only last year. The balance work is likely to be completed by

09.03.2016/1140/केएस/एजी/2

September, 2016. So, this road is almost complete. In September, 2016, it would be made operational.

The work of Ghoom Janjla road was started during 2013. Work is likely to be completed by September, 2016.

The work on Kalhela Bridge was started during September, 2013 and is likely to be completed by June this year.

The work of Sangera Bridge already stands completed. The work was started in 2013. It was inaugurated on 14th September, 2013. It is already under operation. So, I think, he is quite lucky by that way.

Shri B.K. Chauhan: Deputy Speaker, Sir, I think the information passed on to the Hon'ble Minister is not correct. As I have told, the foundation stones of these roads were laid by the previous Government. The work has been started this year. In case of certain roads, I am quite sure that they will not be completed during the stipulated period of time. However, they are trying to mention some good things. The Hon'ble Minister has avoided answering the main question. The practice of destroying the foundation laying stones and even opening stones (Udhghatan Stones) under the regime of the present Government is very bad. It is not only in Chamba but this kind of practice is being adopted by the Ruling Party people all over Himachal. I don't think there is any constituency of Opposition Party left where this practice has not been adopted. I have already asked this question, but he

has avoided this deliberately. Will the Hon'ble Minister assure us that this will never happen in future?

Continued by AG in English . .

9.3.2016/1145/av/ag/1

Question No. 2766 continued . . .

Health & Family Welfare Minister: Deputy Speaker, Sir, if you kindly go through the contents of this question, it was asked when the following roads and bridges were started, date of started of the work and when it would be completed. So I have given both answers. He is lucky that these roads and bridges will be completed very shortly i.e. in September, 2016.

I don't know about the laying of the foundation stones and starting of these roads. He has not mentioned it in his question.

I say that it is very wrong to break the inauguration, opening and laying of foundation stones. So it would be the endeavour of our Government that such things will not happen in future. Some antisocial element may be doing it.

Concluded

9.3.2016/1145/av/ag/2

प्रश्न संख्या : 2767

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, 'कौशल विकास भत्ता' योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना का ध्येय नौजवानों को प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना है। मंत्री जी ने प्रश्न के 'ख' भाग के उत्तर में कहा है कि कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत केवल कौशल

प्रशिक्षण हेतु भत्ते का प्रावधान है। अगर कौशल विकास भत्ता योजना के नाम से नौजवानों को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार से तीन सालों में पैसा आया है तो क्या मंत्री महोदय जी उसका विवरण देंगे? दूसरा, अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर जो बजट पेश किया और जैसे कि बजट बुक में कहा गया है कि उसमें एशियन डिवैल्पमैंट बैंक द्वारा 640 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है या करने जा रहे हैं। आपका बैंक के साथ जो एम.ओ.यू. साइन हुआ है या जो भी परियोजना है। उसके तहत आप बतायेंगे कि इसका रूप क्या है यानि नौजवानों को इसके तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा? आपने यह भी कहा है कि लगभग 17 ऐसे औद्योगिक घराने हैं जिनके साथ आपने एम.ओ.यूज. साइन किए हैं। वे कौन-कौन से 17 घरानें हैं जिनके साथ सरकार ने एम.ओ.यूज. साइन किए हैं और आप उन एम.ओ.यूज. के तहत नौजवानों को किस प्रकार की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे?

उद्योग मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले चलाई गई थी और

------**जारी टी सी द्वारा जारी**

09/03/2016/1150/TCV/AS/1

प्रश्न संख्या 2767 ---- क्रमागत

उद्योग मंत्री ---- क्रमागत

और इसके लिए पिछले 3 सालों से माननीय मुख्य मंत्री जी पैसा मुहैया करवा रहे हैं। इसके लिए 100 करोड़ रूपया स्टेट बज़ट से हर साल मिल रहा है। इनके प्रश्न की मंशा से यह जाहिर था और आप जानना चाह रहे थे कि क्या इस योजना के लिए केन्द्र से पैसा आया है। लेकिन इस योजना के लिए केन्द्र से पैसा नहीं आया है। ये स्टेट की अपनी

योजना है और राज्य सरकार इसको चला रही है। इसलिए जिस प्रश्न की आप बात कर रहे थे, 'कौशल विकास निगम', माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्षता में अलग से कायम हुआ है। बाकी जो बात आप एशियन बैंक की कर रहे हैं, उसके करार की प्रक्रिया अभी चल रही है और उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। जब यह पैसा आएगा, तब देखेंगे कि इस पैसे को कैसे खर्च करना है? लेकिन यह योजना बिल्कुल सैपरेट योजना है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में यह योजना 2012 में शुरू की और प्रदेश सरकार ने अपने बज़ट से 100 करोड़ रूपया हर साल देने का फैसला लिया है। इसके लिए 500 करोड़ रूपया 5 साल के लिए निर्धारित किया गया है और दिल्ली में सरकार आने से पहले यह हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी थी।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसके अनुसार इन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से इस योजना के लिए अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। क्या प्रदेश सरकार ने इस कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से कोई मांग रखी है, ताकि जो भारत सरकार की योजना चल रही है, प्रदेश सरकार भी उससे लाभ उठाएं? दूसरा, एक और बात मैं आपके माध्यम से इनके ध्यान में लाना चाहता हूं और सरकार के ध्यान में भी होगा। जब आपने यह कौशल विकास भत्ता योजना शुरू की, उस समय से भी पहले से यह योजना चली आ रही है। हर साल जो आर्थिक सर्वेक्षण आते हैं, उन सभी में कौशल विकास भत्ते के अन्तर्गत नये लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। आपने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। लेकिन इसके बारे मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने पूरे प्रदेश के अन्दर जो होर्डिंग लगाये उसमें कितना व्यय हुआ? जिन बेरोज़गारों को रोजगार केन्द्रों में

09/03/2016/1150/TCV/DC/2

बुलाया जाता रहा उनका कितना खर्चा हुआ? अभी तक इस कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत ऐसे कितने बेरोजगारों को ट्रेनिंग दी गई है? यह मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं।

उद्योग मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं

कि पहले भी कौशल विकास भत्ता दिया जाता रहा। लेकिन उसका क्वाँटम जो हिमाचल प्रदेश में था, वह नेग्लिजीबल था। परन्तु जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद एक स्किल डैवेल्पमेंट योजना लाई गई और बज़ट का प्रावधान बड़े आधार पर किया गया। इसमें 500 करोड़ रूपया 5 साल के लिए निर्धारित किया गया और इसके लिए हर साल 100-100 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया जा रहा है। आपने जानना चाहा कि कितने लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया? मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 1,10,601 लोग अभी तक इसमें प्रशिक्षण ले चुकें हैं और प्रदेश सरकार की ओर से 74 करोड़ रूपया इसमें अभी तक खर्च किया जा चुका है।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में, जैसे आपने बताया कि लगभग एक लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। क्या मंत्री जी बतलाएंगे कि जो 1,10,000 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया, ऐसी प्रशिक्षण देने वाली कितनी ऐजन्सियां प्रदेश के अन्दर हैं, जिनको आपके विभाग से रजिस्टर्ड किया गया है? क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में हैं कि फेक ऐजन्सियां प्रदेश के अन्दर पंजीकृत की गई और उन फेक ऐजन्सियों ने जाली सर्टीफिकेट प्रदान करके घर में बैठकर पैसा कमाया है? क्या माननीय मंत्री जी ऐसी फेक ऐजन्सियों की छानबीन करेंगे और छानबीन करने के उपरान्त यदि कोई गलत पाया गया तो उनको दण्डित करेंगे?

उद्योग मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि कितनी ऐजन्सियां प्रदेश में इस समय काम कर रही है? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 909 ऐजंसिज़ इसमें काम कर रही है,गवर्नमैंट इन्स्टीच्यूशन्ज़ इसमें 350 है और गवर्नमैंट अप्रूव्ड 355 हैं और

श्री आर0के0एस0 द्वारा----जारी

9.03.2016/1155/RKS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2767...क्रमागत

उद्योग मंत्री द्वारा ...जारी

डिस्ट्रिकट लेवल पर जो कमेटीज ने अप्रूव किया है वह 204 है। कुल मिलाकर ये 909 एजेंसियां बनती हैं। एक मंशा जो आपने जाहिर की है कि कुछ लोग बीच में आ गए थे। 2413 लोगों ने ऐसे संस्थान खोले थे। उसके बाद प्रदेशव्यापी चर्चा हुई। डिप्टी कमीशनर्ज को अधिकृत किया गया कि वे सारे संस्थानों का दौरा करें और इन संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्टीफिकेशन देखकर आएं। उसके बाद अधिकतर लोगों को हटा दिया गया है। अब 909 एजेंसियां ही कार्य कर रही है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का पैसा किसी भी एजेंसी को नहीं जाता है। यह पैसा जो लाभार्थी ट्रेनिंग ले रहा है, उसके खाते में जाता है। अगर आप कहें कि इसमें कोई धांधली हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि यह पैसा उन्हीं लोगों को गया है जो वास्तव में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ...(व्यवधान)..

Deputy Speaker: Please keep quiet let him speak.

उद्योग मंत्रीः यह लाभार्थी के एकाऊंट में डायरेक्ट पैसा जाने की योजना है। जब हमने देखा कि हमारे ऑफिसर्ज गए, डिप्टी कमीशनर्ज गए, ए.डी. एम. गए, एस.डी.एम. गए सबने स्थल में जाकर देखा, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था उनकी मान्यता हमने रद्द कर दी है।

उपाध्यक्षः श्री सतपाल सिंह सत्ती।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि लगभग 2413 एजेंसीज में से अभी 900 एजेंसीज काम कर रही हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों

को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, क्या प्रदेश सरकार, जब भी कोई रोजगार निकलता है तो

9.03.2016/1155/RKS/AS/2

इन विशेष प्रशिक्षित लोगों को जिन्होंने स्किल डवेलपमेंट की है, क्या उसमें इन लोगों को वरियता देने का विचार रखती है? दूसरा जो 900 एजेंसीज काम कर रही हैं, जिनको सरकार ने रिकॉगनाइज किया है, उनकी लिस्ट आप हमें प्रोवाइड करवायेंगे? उनके बारे में हम भी कुछ औचक निरीक्षण कर सकें ताकि लोगों के साथ धोखा न हो।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

उद्योग मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, **माननीय सदस्य जी ने जो 909 संस्थानों की लिस्ट मांगी है, मैं विभाग को कहूंगा कि वे पूरी लिस्ट माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दें। हम 909 एजेंसीज के नाम और पते हाऊस में ले कर देंगे।** दूसरा इन्होंने कहा कि जिन लोगों को ट्रेंड करवाया है, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हालांकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोग स्वतः ही रोजगार, कारखानों बगैरा में लग रहे हैं। **लेकिन आपने सुझाव दिया इसके बारे में सरकार अपने स्तर पर भी चर्चा करेगी।**

उपाध्यक्षः श्री कुलदीप कुमार।

श्री कुलदीप कुमारः उपाध्यक्ष महोदय , मेरा प्रश्न बेरोजगारों की संख्या पर था जोकि क्लब कर दिया गया है। इसमें मैंने पूछा था कि दिनांक 31.01.2008, 31.01.2013 व 31.01.2016 को कितने बेरोजगारों की संख्या रजिस्टर्ड थी । यहां पर 31.01.2016 के बेरोजगारों की फिगर तो आ गई है। लेकिन 31.01.2008 व 31.01.2013 को कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड थे अगर ये संख्या मंत्री जी बता दें तो ठीक है।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

उद्योग मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2012 के आंकड़ों के मुताबिक 8,61,000 बेरोजगार थे। और आज की डेट में 8,04,000 बेरोजगार हैं। लेकिन मैं एक सूचना यह भी देना चाहता हूं कि अभी हमने एक सर्वे इक्नॉमिक्स एण्ड स्टैटीस्टीकल डिपार्टमेंट से

9.03.2016/1155/RKS/AS/3

करवाया था। उन्होंने सर्वे करने के बाद यह कहा है कि इस आंकड़े के अनुसार 34 परसेंट लोग एक्चुअल बेरोजगार है। कुल मिलाकर 2 लाख 83 हजार लोग एक्यचूअल बेरोजगार हैं। बाकि लोग कहीं- न- कहीं नौकरी में लगे हुए हैं। सरकारी नौकरी में भी लगे हैं, कृषि सैक्टर में भी हैं,

एस.एल.एस. द्वारा... जारी

09.03.2016/1200/sls-dc-1

प्रश्न संख्या : 2767 ...जारी

माननीय उद्योग मंत्री...जारी

इंडस्ट्री में भी हैं क्योंकि 14 साल की उम्र के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है और लोग इस आयु में रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर देते हैं। खासकर कौशल विकास योजना शुरू होने के बाद इस दौरान लगभग डेढ़ लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया। वह आंकड़ा अब 8.04 लाख तक पहुंचा है जबकि ऐक्चुवल बेरोज़गार 2.83 लाख हैं। सरकार रोज़गार दे रही है और लगातार प्रयास कर रही है।

प्रो० प्रेम कुमार धमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करवाने की आयु बहुत छोटी है। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तब रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि 18 साल की जिस उम्र में युवा नौकरी कर सकता है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की इज़ाज़त दी जाए?

उद्योग मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, **माननीय विपक्ष के नेता ने सुझाव दिया है। इसमें हम देख लेते हैं कि यह स्टेट एक्ट के अंतर्गत है या सैंट्रल एक्ट के अनुसार है। जो भी होगा उसके बारे में हम सदन को अवगत करवा देंगे।**

प्रश्न काल समाप्त

09.03.2016/1200/sls-dc-2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

उपाध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अगवत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार से है -

बुद्धवार 9 मार्च, 2016	**शासकीय एवं विधायी कार्य**
वीरवार 10 मार्च, 2016	**1- शासकीय एवं विधायी कार्य**
	2- गैर-सरकारी सदस्य दिवस
शुक्रवार 11 मार्च, 2016	**शासकीय एवं विधायी कार्य**

कागज़ात सभा पटल पर

उपाध्यक्ष : अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब माननीय खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

1. **सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 41वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15;**
2. **हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 34 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के प्रथम परिनियम, 2016; और**
3. **जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15.**

उपाध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

09.03.2016/1200/sls-dc-4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे।

अब श्री रविन्द्र सिंह,सभापति,लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन में उपःस्थापित करता हूं और सभा पटल पर रखता हूं -

1. **समिति का 124वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है; और**
2. **समिति का 125वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है ।**

उपाध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार,सभापति, प्राक्कलन समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के

निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन में उपःस्थापित करता हूं और सभा पटल पर रखता हूं -

1. **समिति का 18वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक आंकड़ों की संवीक्षा पर आधारित है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और**

09.03.2016/1200/sls-dc-5

2. **समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है ।**

उपाध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

Smt. Asha Kumari : Mr. Deputy Speaker, Sir, with your kind permission I present and lay on the Table of the House a copy of following report pertaining to Rural Planning Committee:-

19वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि उद्यान विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है।

सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन

उपाध्यक्ष : अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1) (A) (vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1) (A) (vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है ।

जारी ..गर्ग जी

09/03/2016/1205/RG/DC/1

उपाध्यक्ष महोदय----क्रमागत

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1) (A) (vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

प्रस्ताव स्वीकार

09/03/2016/1205/RG/DC/2

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

उपाध्यक्ष : अब नियम 62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। श्री महेन्द्र सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। इसी विषय पर श्री महेश्वर सिंह व श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर जी ने भी नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिए थे जिन्हें नियमानुसार परिवर्तित करके नियम-62 के अन्तर्गत चर्चा हेतु अनुमति प्रदान कर दी है और ये भी इसमें भाग ले सकते हैं।
श्री महेन्द्र सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हाल ही में प्रदेश में फोरलेन हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि का भू-मालिकों को पर्याप्त मुआवज़ा न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर' माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस विषय के लिए आपने मुझे अनुमति प्रदान की है, पहले तो मैं आपका विशेषतौर पर इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जितने भी विधायक या मंत्री हैं, हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। यह निश्चित है कि प्रदेश में पूर्व में, वर्तमान और भविष्य में भी ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाएं प्रदेश सरकार, भारत सरकार या विश्व बैंक या किसी दूसरी एजेन्सीज के माध्यम से यहां चलाई जा रही हैं जिन पर काम चला हुआ है और आगे भी काम चलेगा। क्योंकि प्रदेश में जो हमारी लैण्ड होल्डिंग हैं, वह बहुत कम है। प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र हिमाच्छादित है जहां वेजिटेशन नहीं है। उसके बाद जो क्षेत्र बाकी बचता है वह फॉरेस्ट कवर्ड एरिये में आता है। कृषि भूमि के बारे में जैसा मैंने पीछे भी एक चर्चा के दौरान सदन में कहा था कि प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल का केवल मात्र 9% भाग कृषि योग्य है। जब भी कोई बड़ी योजना आती है, तो उसको चालू करने के लिए भू अधिग्रहण किया जाता है। जब भू अधिग्रहण किया जाता है, तो भू अधिग्रहण करते समय बहुत जगह जाती है जिसमें हमारे किसानों-बागवानों की निजी भूमि और कुछ क्षेत्रों में सरकारी जमीनों का भी अधिग्रहण किया जाता है।,

09/03/2016/1205/RG/DC/3

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार से वर्तमान में प्रदेश में दो ऐसी फोरलेनिंग सड़कों का निर्माण कार्य चला हुआ है। एक परवाणु से सोलना-शिमला का काम चला हुआ है और दूसरी फोरलेनिंग का काम कीरतपुर से मण्डी , मण्डी से कुल्लू-मनाली तक भी चला हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में दो और ऐसे राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं

एम.एस. द्वारा जारी

09/03/2016/1210/AG/MS/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----------

जिनमें हमारा जालंधर से मण्डी वाया हमीरपुर-धर्मपुर-मण्डी उसकी भी फोर लेनिंग के

काम के लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी-अभी पठानकोट से मण्डी वाया कांगड़ा-पालमपुर होते हुए, उस सड़क को भी फोर लेनिंग में डाला गया है और उसका भी भू-अधिग्रहण का कार्य अब चलेगा। उपाध्यक्ष जी, भू-अधिग्रहण में जो दिक्कतें आ रही हैं वे ऐसी हैं कि जो हमारा किसान/बागवान गांव में बैठा हुआ है, उसको वास्तव में इसके बारे में पता ही नहीं है। वह अनभिज्ञ और अनजान है कि इस भू-अधिग्रहण में किन-किन प्रक्रियाओं से उसे गुजरना है। उसको तो उस वक्त पता चलता है जब उसको कहा जाता है कि अब आपकी ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है। उस वक्त उसको पता चलता है कि मेरी ज़मीन की मुआवजा राशि प्रति बीघा, प्रति बिस्वा, प्रति हैक्टेयर या प्रति एकड़ इस प्रकार से दी गई है। उपाध्यक्ष जी, इस भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया में, राजस्व मंत्री जी अभी कहीं बाहर गए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पिछले कल ही इस प्रदेश के लिए वर्ष 2016-17 का बजट इस सदन में रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी हजारों ऐसे किसान/बागवान, लघु उद्यमी, किरायेदार, दुकानदार, दूध बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले इत्यादि हैं जो इस भू-अधिग्रहण प्रक्रिया से विस्थापित होने की कगार पर हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास जितनी भी भूमि थी, वह सारी-की-सारी भूमि इस सड़क के बीच में जा रही है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जोकि बी0पी0एल0 में आते हैं। बहुत से परिवार इस प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं और उनकी भूमि उस भू-अधिग्रहण में जा रही हैं। इस भू-अधिग्रहण के लिए काफी कोशिशें की गई कि जब भू- अधिग्रहण किया जाए, क्योंकि हमारा पिछला अनुभव जो इस प्रदेश के अंदर है, वह ठीक नहीं रहा। जब इस प्रदेश में बड़ी-बड़ी परियोजनाएं लगीं जैसे बी0बी0एम0बी0 भाखड़ा का हमारा बहुत बड़ा प्रोजैक्ट लगा तो उस प्रोजैक्ट में हमारी जो ज़मीनें पण्डोह से सुन्दर नगर और सलापड़ तक गई तथा फिर भाखड़ा डैम तक गई, उन सारी ज़मीनों से जो विस्थापित हुए, आज वे

09/03/2016/1210/AG/MS/2

विस्थापित सड़कों पर उतरे हुए हैं। जब उनको ताजा-ताजा पैसा मिला था तो कइयों ने दुकानें चला ली और कइयों ने गाड़ियां डाल दीं लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया

वैसे-वैसे क्या हुआ कि वे गाड़ियां रुक गईं और दुकानें बंद हो गईं और वे विस्थापित आज इस कगार पर खड़े हैं कि उनके पास आज एक इंच भूमि अपने पास नहीं है। जब 1960 और 1970 के दशक में इन परियोजनाओं का काम किया गया था उस वक्त किसी ने इन परियोजनाओं और इस भू-अधिग्रहण का इतनी गम्भीरता से संज्ञान नहीं लिया था। यदि उस वक्त इतनी गम्भीरता से इसका संज्ञान लिया गया होता तो निश्चित तौर पर आज जो विस्थापित हुए हैं, वे न होते और आज ऐसी भूमि जो उन प्रोजैक्ट्स के लिए अधिग्रहण की गई थी, वह बैरन न पड़ी होती। आज हमारी सुन्दर नगर की कालोनी में हजारों मकान बने हुए हैं और वे सब ढह रहे हैं। वहां पर कोई नहीं रह रहा है। आज सलापड़ और पण्डोह की कालोनियों के भी ऐसे ही हाल हैं लेकिन ज़मीन दे दी गई है अब उसकी दुबारा से वापसी नहीं हो सकती। मैं इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को यहां लाया हूं कि जो फोर लेनिंग के काम इस हिमाचल प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं और इन कामों से जो विस्थापित हो रहे हैं, ऐसे परिवार हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। वैसे तो यह कानून अंग्रेजों के समय का है। भू-अधिग्रहण कानून वर्ष 1894 में आया था।

वर्ष 1894 से लेकर आज तक उस कानून को किसी भी रूप में नहीं बदला गया है। लेकिन सितम्बर 2013 में इस कानून को यू0पी0ए0 की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में लाया और बाकायदा तौर पर उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। उपाध्यक्ष जी, उस अधिसूचना को जिस प्रकार से धरातल पर लागू करना चाहिए था, आज धरातल पर उस प्रकार से वह लागू नहीं हो रही है। आज सबसे बड़ा अगर चिन्ता का विषय बना हुआ है तो वह यह है कि सितम्बर, 2013 का कानून हमारे धरातल पर क्यों उस प्रकार से लागू नहीं किया जा रहा है? उपाध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ यह पहली मर्तबा है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

09.03.2016/1215/जेएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंहः-------**जारी**------

इस भू-अधिग्रहण कानून को पूरे देश के अन्दर हिमाचल प्रदेश में इस कानून को पहली बार लागू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो यह भू-अधिग्रहण कानून को

लागू कर रहे हैं, इसको दो स्कीमों के ऊपर चालू कर रहे है। इससे कहीं यह संदेश पूरे देश में न चला जाए कि हिमाचल प्रदेश में ज़ीमीदारों की, बागवानों की,चाय वालों की, खोखो वालों की ज़मीनें अधिकृत की गई उनको जिस प्रकार से सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए थी, जिस प्रकार से भू-अधिग्रहण से पहले औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए थी वे औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई और अपूर्ण होते हुए भी भू-अधिग्रहण कर लिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 15 जनवरी, 2016 को हिमाचल प्रदेश के अन्दर एक नोटिफिकेशन हुई, जो राजपत्र अखबार है उसके अन्दर वह प्रकाशित हुई। उसमें दिया गया है कि हम हिमाचल प्रदेश के अन्दर सर्कल रेट फिक्स करते हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो 2011-12 में सर्कल रेट जो था वह पूर्व की भाजपा सरकार के समय में उस सर्कल रेट को लागू किया गया था। उसमें कहा गया है कि अगर सड़क से 25 मीटर तक का डिस्टैंस है तो उसका सर्कल रेट क्या होगा, 25 मीट से 50 मीटर की दूरी है तो उसका सर्कल रेट क्या होगा, 50 मीटर से 100 मीटर है तो उसका सर्कल रेट क्या होगा, 100 मीटर से 500 मीटर है तो उसका सर्कल रेट क्या होगा, 100 मीटर से 1000 मीटर है तो उसका सर्कल रेट क्या होगा और यदि 1000 मीटर से ज्यादा का डिस्टैंस सड़क से बनता है तो उसका सर्कल रेट क्या होगा? मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो फोर लेनिंग है इन फोर लेनिंग में जैसे कि उदाहरण के रूप में कीरतपुर से मण्डी, नागचोला तक का जो फोर लेनिंग है, जो हमारा हाई-वे है, स्वारघाट हो करके आता है उससे हो करके जा ही नहीं रहा है। अब दो प्रश्न पैदा होते हैं। एक प्रश्न यह है कि सर्कल रेट कहां से लिया जाएगा? सर्कल रेट लिया जाएगा जो वर्तमान में वहां पर कोई सड़क है, चाहे वह राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, स्टेट उच्च मार्ग है, चाहे वह एम0डी0आर0 है, चाहे वह रोलर रोड़ है वहां से डिस्टैंस लिया जाएगा

वहां से वह सर्कल रेट लिया जाएगा। लेकिन मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कीरतरपुर से मण्डी के लिए सड़क आई उसमें बड़ा मोड़ से टनल डाली जा रही है। टनल डालने के उपरान्त फिर वह सड़क ऐसे क्षेत्र से आ रही है जहां पर कोई सड़क है ही नहीं। आप सर्कल रेट कहां से बनाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर कोई सड़क नहीं है वहां पर जो सर्कल रेट बनेगा वह एक किलोमीटर की ज्यादा की दूरी पर जो एरिया पड़ता है उसमें सर्कल रेट की परिभाषा क्या दी हुई है? उसमें सर्कल रेट की परिभाषा दी गई है कि ऐसे हालात में मूल दर से 60 प्रतिशत कम का सर्कल रेट वहां बनेगा। राष्ट्रीय नेशनल हाई-वे अथौरिटी ऑफ इण्डिया ने इस नेशनल हाई-वे को बनाने जा रही है। जो वर्तमान का नेशनल हाई-वे है वह बाहर रह गया है। जो फोर लेनिंग का उच्च मार्ग है वह बन रहा है। अब जो किसान और बागवान है उनको जिस प्रकार का मुआवज़ा मिलना चाहिए था अब वे उस मुआवज़े से वंचित है। पहला तो मेरा प्रश्न यह रहेगा कि उन किसानों के बारे में, उन बागवानों के बारे में और उन लोगों के बारे में जो वहां से बेघर हुए हैं उनके लिए प्रदेश सरकार ने, राजस्व विभाग ने कौन सी ऐसी औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा किया और पूरा करने के उपरान्त उन लोगों के साथ मिल-बैठ कर के प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया। राजस्व विभाग की एक नोटिफिकेशन 1 अप्रैल, 2015 की है। जो वह नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन ने तो हिमाचल प्रदेश का बेड़ागर्क कर दिया है। आप कहेंगे कि कैसा बेड़ागर्क कर दिया? बेड़ागर्क ऐसा कर दिया कि फेक्टर एक लगा दिया। एक ही फेक्टर पूरे प्रदेश के लिए लगा दिया। चाहे वह क्षेत्र शहरी है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र है एक ही फेक्टर लगा दिया गया है । एक ही फेक्टर में दो गुणा मुआवज़ा दिया जाता है। जो फेक्टर दो है उसमें चार गुणा मुआवज़ा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो सड़क बन रही है और हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो प्रोजैक्ट बन रहा है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

वह प्रोजैक्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि वह नेशनल प्रोजैक्ट है। इन प्रोजैक्टों का फायदा प्रदेश को भी होगा। लेकिन प्रदेश के अलावा अगर इन प्रोजैक्टों का सबसे बड़ा फायदा है तो वह देश को है। हिमाचल प्रदेश इस देश के प्रहरी के रूप में काम करता है। आज हमारी सीमाएं चाईना के साथ जुड़ी हुई हैं। लेह-लद्दाख होकर सड़क जाती है। वह सड़क कीरतपुर से लेकर आगे तक जाती है। आगे उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश का आता है। दूसरी सड़क आपके चुनाव क्षेत्र रामपुर से हो करके आगे तक जाती है। हिमाचल प्रदेश एक प्रहरी का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर नेशनल प्रोजैक्टस आ रहे हैं और उन नेशनल प्रोजैक्टस में इस प्रदेश के बागवान/किसान की जो जमीन जा रही है वह कौड़ियों के भाव जा रही है। मैं इसलिए प्रदेश सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि फैक्टर-1 लगा दिया। आपने एक नोटिफिकेशन कर दी और पूरे हिमाचल प्रदेश के किसान/बागवानों का बेड़ागर्क कर दिया। जबकि भारत सरकार ने फैक्टर-2 की ऑलरेडी नोटिफिकेशन की हुई है।

इसके अलावा नये भू-अधिग्रहण कानून के शिडयूल-1, 2 और 3 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको इन शिडयूल्ज़ की सारी औपचारिकताओं को पूरा करना है। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री और सरकार का ध्यान हमारे राष्ट्रीय राजपत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, भारत का राजपत्र दिनांक 8 मई, 2014 को प्रकाशित हुआ। इस राष्ट्रीय राजपत्र में बताया गया है कि जो भूमि अधिग्रहण पूरे देश में किया जायेगा, वह किस प्रकार से किया जायेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रदेश सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें धारा-2 है। उसमें बड़ा साफ लिखा है कि किन-किन प्रयोजनों हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा। हमारे यहां पर कोई औद्योगिक कोरिडोर बनने हैं। खनन का क्रिया-क्लाप होना है। हमारे यहां पर जल सिंचाई और जल संरक्षण अवसंरचना और स्वच्छता के लिए परियोजना आनी है। सरकार द्वारा प्रशासित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक अनुसंधान स्कीमों या संस्थाओं के लिए परियोजना आनी है। क्रीड़ा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, परिवहन,

अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजना आनी है। परियोजनाओं से प्रभावित कुटुम्बों की परियोजना के लिए इसके "ग" भाग में लिखा गया है। --(व्यवधान)--वैसे तो इस

09.03.2016/1220/SS-AS/2

राजपत्र की प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई होगी, मैं इनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि सैक्शन-25, 26, 27, 28, 29 और 30 का अगर अवलोकन करें तो इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी बड़ा साफ लिखा है कि आपको भूमि अधिग्रहण करने से पहले और अधिग्रहण के उपरांत क्या-क्या औपचारिकताएं हिमाचल प्रदेश के अंदर उन किसानों/बागवानों के लिए पूरी करनी हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जो हमारा किसान या बहन किसी चाय वाले को दूध देती थी, उसकी दिहाड़ी बंद हो जायेगी जब वह ढाबा बंद हो जायेगा। हमारा गांव में रहने वाला सब्जी उत्पादक है जोकि वहां पर सब्जी बेचता था उसकी सब्जी बिकनी बंद हो जायेगी। इसमें बड़ा साफ लिखा है कि आपको उनके लिए क्या करना है। सैक्शन-27 और 28 में बड़ा साफ लिखा है कि आपने पहले धारा-26 का संज्ञान लेना है। धारा-26 के उपरांत निम्नलिखित पर विचार किया जायेगाः-

दूसरे, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी खड़ी फसलों और वृक्षों को जो कलक्टर द्वारा उनका कब्जा लिये जाने के समय उस भूमि पर हों, कब्जे में लेने के कारण हुआ नुकसान। तीसरे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को उस भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग किये जाने के कारण हुआ नुकसान। चौथे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2016/1225/केएस/एएस/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे अर्जन के कारण, जिससे उसकी अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा हो, हुआ

नुकसान (यदि कोई हो)

पांचवे, हितबद्ध व्यक्ति को कलक्टर द्वारा भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास-स्थान या कारोबार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए विवश होने की दशा में, ऐसे परिवर्तन के आनुषगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो)

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, उन किसानों जो हिमाचल प्रदेश के अंदर विशेषकर मण्डी एवं कुल्लू जिला के किसान जिनकी जमीन इस फोरलेन में गई है, आज वे लोग सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिलाधीश के कार्यालयों पर उनके धरने चल रहे हैं। क्या आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते? क्या हम उनकी आवाज को इस विधान सभा के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंचा सकते? हम पहुंचा सकते हैं और इसीलिए हमें लोगों ने चुनकर यहां भेजा है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ अगर किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाएं। आजकल विधान सभा का सत्र चला हुआ है, इसलिए मुख्य मंत्री जी मेरी आपसे विशेष विनती रहेगी कि आपने 3डी फार्मुला लगाकर बहुत बड़े एरिया की भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। यह जो 3 डी फार्मुला है, जो सर्कल रेट है और जो औपचारिकताएं भू-अधिग्रहण से पहले करनी चाहिए थीं उनको पूरा नहीं किया गया है। क्या प्रदेश सरकार ऐसे मामले जिनको हम आपके ध्यान में ला रहे हैं, फोरलेनिंग की संघर्ष समिति बनी हुई है, उन्होंने आपको भी ज्ञापन दिया है, देश के महान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भी ज्ञापन दिया हुआ है और हमें भी उसकी कॉपी दी हुई है। हम तो समझ रहे थे कि इस हाऊस के चलने से पहले आपने इस सम्बन्ध में कोई न कोई संज्ञान ले लिया होगा लेकिन हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी तक कोई भी संज्ञान प्रदेश सरकार की तरफ से उस संघर्ष समिति के लोगों के लिए नहीं लिया गया। मैं

09.03.2016/1225/केएस/एएस/2

अपने पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमारे बहुत से पत्रकार मित्र हैं

जो संवेदनशील प्रश्नों को समाचार पत्रों के माध्यम से उठाते हैं। क्या भू-अधिग्रहण कानून के अंतर्गत विभिन्न बड़े प्रोजैक्ट जो लगने जा रहे हैं, क्या उसमें जो सितम्बर, 2013 का भू-अधिग्रहण कानून भारत सरकार ने बनाया है, उसमें जो संशोधन हुआ है, उसमें फैक्टर-2 को शामिल किया गया है, इसके अलावा जो 3 डी का फार्मुला है, उसको हटाकर क्या इस प्रदेश के अन्दर जो भी भू-अधिग्रहण किया जाएगा, चाहे वह सड़कों के लिए किया जाएगा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा, कानून में प्रावधान है कि भू-अधिग्रहण करने से पहले उसमें वहां के जो सांसद हैं, विधायक हैं, चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधि हैं और वहां के ऐसे एन.जी.ओ. हैं, उनको शामिल किया जाएगा । क्या प्रदेश सरकार ने आज तक जो भू-अधिग्रहण किया हुआ है, उसके लिए वहां के विधायकों से, वहां के सांसदों से या वहां के पंचायत के प्रतिनिधियों से कोई बैठक की है? अगर नहीं की है, तो फिर यह कैसे कर दिया? क्या 3डी के अंतर्गत जो भू-अधिग्रहण किया गया है, उसको वापिस ले कर उस पर पुनर्विचार करेंगें?

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करिए।

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट लूंगा। ऐसी जगहों को जो पहले सड़क के नज़दीक नहीं पड़ती हैं, जैसे मैंने कहा कि फोरलेनिंग में जो आपने सर्कल रेट की बात कही है, सर्कल रेट तो वहां होगा जहां सड़क के नज़दीक होगा जो जमीन सड़क से कोसों दूर है, वहां के लिए सर्कल रेट कैसे बनाया जाएगा?

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। श्री महेश्वर सिंह जी, आप बोलिए।

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिमुडा द्वारा और सरकारी एजैंसियों द्वारा जो भू-अधिग्रहण किया जाता है, क्या उसमें सर्कल रेट लिया जाता है? अगर नहीं लिया जाता तो सरकार क्यों किसानों की जमीनों को सर्कल रेट के माध्यम से क्रय कर रही है?क्यों हिमुडा की तर्ज पर, हिमुडा जब जमीन लेता है तो उसके क्रय में उस जिले का डिप्टी कमिशनर हैड होता है और उसके माध्यम से जमीन ली जाती है। क्या हिमाचल

09.03.2016/1225/केएस/एएस/3

प्रदेश के अंदर जो भू अधिग्रहण किया जाएगा वह हिमुडा की तर्ज पर किया जाएगा न कि सर्कल रेट पर किया जाएगा?

उपाध्यक्षः श्री महेश्वर सिंह जी आप बोलिए। महेन्द्र सिंह जी, यह आप बाद में क्लैरिफिकेशन में पूछ लेना।

श्री महेन्द्र सिंहः जो संघर्ष समिति बनी है, क्या आप उनको भी विश्वास में ले कर आगे इस काम को करेंगें? इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो यह जनहित का मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। जनहित के मामलों में ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंह जी अ0व0 की बारी में

9.3.2016/1230/av/dc/1

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संयुक्त रूप से जो विषय माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी, मेरे द्वारा तथा श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी द्वारा नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में यहां प्रस्तुत किया है; उसमें केवल कुछ बिन्दुओं पर प्रश्न करूंगा क्योंकि माननीय सदस्य ने बड़े विस्तार से सारी बात कह दी है। जहां तक इन्होंने प्रथम फैक्टर की बात की है तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने इसका प्रावधान कर दिया है; जिसका स्वागत है। जहां तक इन्होंने दूसरे फैक्टर की बात की है तो उसका भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रावधान कर लिया है जिसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन भी हो गई है जिसका इन्होंने उल्लेख किया है कि भू-अधिग्रहण नियम- 2013 जो 1 जनवरी, 2015 को पारित किया उसमें सारे प्रावधान है। उसमें पुनर्वास/पुनर्स्थापन का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, भूमिहीनों/बेघरों और बेरोजगारों को मुआवजा/रोजगार देने की बात भी कही गई है तथा सोसयटी के वीकर सैक्शन हेतु भी

प्रावधान रखा गया है कि विशेष आर्थिक पैकेज दिया जायेगा। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी जनसाधारण और किसानों को कौन देगा? मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से विशेष आग्रह करूंगा कि यह दायित्व राजस्व विभाग का होना चाहिए। नागचला से लेकर मनाली तक भूमि पर जो लोगों की सम्पत्ति है उसका मूल्यांकन भी नेशनल हाई-वे ऑथोरिटी द्वारा शुरू कर दिया गया है। परंतु वर्तमान मूल्यांकन का पैमाना क्या है, यह किसी को मालूम नहीं है। वर्तमान मार्किट रेट क्या है; इस बात की भी सर्वसाधारण को कोई जानकारी नहीं है। उसका नेशनल हाई-वे ऑथोरिटी मनमाने ढंग से आकलन कर रही है। ऐसी घड़ी में हिमाचल सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसका राजस्व विभाग लोगों को कम-से-कम इस प्रकार की बातों की जानकारी दें कि वहां का मार्किट रेट क्या है और कितना मिल रहा है। जहां तक इन्होंने सर्कल रेट की बात की है तो मैं इनकी बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि इस बात से सारा सदन सहमत होगा कि जब सड़क से कोसों दूर

9.3.2016/1230/av/dc/2

वह टनल जा रही है तो लोगों / किसानों की उन दूर्गम क्षेत्रों में जो जमीन लगेगी उसका मुआवजा किस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा; इस पर विचार करना चाहिए। टकोली से रामशीला तक; इसमें कुल्लू और मण्डी का क्षेत्र आता है। उसमें पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत टैंडर भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन पी0पी0पी0 मोड में जो सहमति से मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है तो वह सहमति कौन करवा रहा है? क्या उसमें कहीं हमारे लोक निर्माण विभाग की इनवॉल्वमैंट है? मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई इनवॉल्वमैंट है। वह मनमाने ढंग से अपने आप कर रहे हैं। इसमें न तो लोगों को जानकारी है और इसमें तालमेल का भी अभाव है, इसलिए इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस मोड का उल्लंघन किया जा रहा है। भू-अधिग्रहण कानून-2013 के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व समाज के अपेक्षित

तबके के लोगों के साथ चर्चा करके यह तय करना है, क्या कोई यह चर्चा कर रहा है? क्या लोगों को कोई यह बता रहा है? केवलमात्र फोर लेन संघर्ष समिति यह प्रयास कर रही है मगर एक समिति के बस में इतना नहीं है कि जनमानस तक पहुंच जाए और उसको जानकारी दें।

टी सी द्वारा जारी

09/03/2016/1235/TCV/DC/1

श्री महेश्वर सिंह --- जारी

कभी-कभी ऐसी धारणा बन गई है कि यह जो फोरलेन संघर्ष समिति है, ये इस फोरलेन का ही विरोध कर रही है। यह तथ्य पर आधारित बात नहीं है। वह भी इस पक्ष में हैं कि फोरलेन बने। लेकिन कहां बने, यह एक दूसरी बात है? परन्तु वह तो सिर्फ किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उनकी बात हम तक नहीं पहुंची है। जैसा इन्होंने कहा सरकार से भी वह 10 बार मिल चुके हैं और सरकार ने आश्वासन भी दिए है। इसलिए आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करते हुए कि इन बातों पर विचार करके समुचित व्यवस्था की जाये, विभागों को आदेश दिए जायें। ताकि लोगों को उचित मुआवज़ा मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 'हाल ही में प्रदेश में फोरलेन हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि का भूमि मालिकों को पर्याप्त मुआवजा न मिलने बारे' में इसमें सदन के 3 सदस्यों का नोटिस है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कल का माननीय मुख्य मंत्री जी का जो बजट भाषण है, उस बजट भाषण में भी आपने हवाला दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर किरतपुर-नेरचौक-मनाली और परवाणू से शिमला 2 फोरलेन का काम भी शुरू हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर पहले अंग्रेज शासन किया करते थे। अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में 1894 ई0 में बिल लाया था और उसके बाद लगभग 100 वर्ष बीतने के बाद एक नया भूमि अधिग्रहण कानून आस्तित्व में आया। 26 सितम्बर, 2013

में तत्कालीन यू0पी0ए0 की सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए नया कानून लाया और उस कानून की प्रस्तावना में कुछ बातें लिखी गई। उन्होंने कहा इस प्रस्तावना में यह भूमि अधिग्रहण बिल मानव प्रेमी हो, सहभागी हो,शुचितापूर्ण हो और पारदर्शी हो। इस कानून में एक बात कही गई कि 4 गुणा मुआवजा, पुनर्वास व पुनःस्थापना का प्रावधान इसमें किया गया। इस बिल के मुताबिक संवैधानिक प्रावधान किए गए। मैं इस माननीय सदन में जो बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मेरा एक ही निवेदन है कि 26 सितम्बर, 2013 को जो बिल संसद के द्वारा पास किया गया, उसमें प्रभावितों, विस्थापितों को जो संवैधानिक प्रावधान

09/03/2016/1235/TCV/DC/2

किए गए हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक प्रभावितों व विस्थापितों को उनका अधिकार मिले। वे प्रावधान क्या है? इसमें यह भी कहा गया कि केवल मात्र भूमि के मालिक ही नहीं किरायेदार व भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले मज़दूरों तक के पुनर्वास और पुनःस्थापना की व्यवस्था की जाये। इस भूमि अधिग्रहण कानून में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियो के लिए भी विशेष आर्थिक प्रावधान किए जायें। उपाध्यक्ष महोदय इसमें यह भी कहा गया है कि यह जो 4 गुणा मुआवजे इत्यादि की बात है, इस सब के साथ वर्तमान में लगता है कि जनता को अनेक बातों का पता नहीं था। जिसके कारण जगह-जगह पर तरह-तरह की जो बातें की जाती है, उसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक गलती की है। इस सरकार के राजस्व विभाग ने 1 अप्रैल, 2015 को एक नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि शहर और

श्री आर0के0एस0 द्वारा----जारी

9.03.2016/1240/RKS/AG/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर द्वारा ...जारी

ग्रामीण दोंनों क्षेत्रों के लिए फैक्टर-1 लागू किया जाए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी भी तौर पर एक समान फैक्टर लागू नहीं किया जा सकता। उसमें यह भी कहा गया कि नए कानून का शेड्यूल फैक्टर-1 और 2 के मुताबिक हो। यदि आप 1 लागू

करते हैं तो उसका दो गुना मुआवजा मिलेगा। 2 लागू करते हैं तो 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सारी मुआवजा राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जानी है। केंद्र सरकार ने मान लिया है कि यह सारा पैसा हम देंगे और फैक्टर-2 प्रदेश में लागू किया जाए। नेशनल हाईवे के लिए फैक्टर -2 लागू कर दिया गया है। इसके साथ-साथ आपके ध्यान में एक और बात लानी है कि सर्किल रेट कैसे बनेंगे? सर्किल रेट कैसे बनें, वर्तमान बाजार भाव क्या है? इस संबंध में प्रदेश सरकार ने आनन-फानन में, जल्दबाजी में एक भूमि मूल्यांकन अधिसूचना जारी की है। उस भूमि मूल्यांकन अधिसूचना के मुताबिक जोकि 1 अप्रैल, 2016 से हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी, जो लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि यह जो अधिसूचना है, पूरी तरह से किसान और सरकार के विरोधी है। इस कानून के लागू होने से सरकार का राजस्व कम होगा और कालाबाजारी बढ़ेगी। प्रदेश सरकार के नए कानून के अनुसार ग्रामीण और शहरी भूमि का मूल्यांकन बराबर होगा और जिलाधीश चाहें तो भूमि के मूल्यांकन को कम भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक भूमि मूल्यांकन अधिसूचना 13 जनवरी, 2012 की थी। उसके मुताबिक जो प्रभावित और विस्थापित लोगों के अधिकार हैं वे ज्यादा सुरक्षित थे।

माननीय मुख्य मंत्री जी जो संवेदनशील है, सबकी बात सुनते हैं, सारी बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। प्रदेश के अंदर नेरचौक से लेकर मनाली तक एक ही अंदाजा है कि लगभग 10 हजार लोग प्रभावित और विस्थापित होने वाले हैं। शिमला से परवाणु तक कितने होंगे और अन्य जो फोरलेन बनने हैं वहां कितने होंगे? यूपीए

9.03.2016/1240/RKS/AG/2

सरकार का जो वर्ष 2013 का बिल है इसका पहला प्रयोग हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के दूसरे प्रदेशों राजस्थान, पंजाब, दिल्ली व हरियाणा में किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। हमारा प्रश्न यह है कि सर्किल रेट कैसे तय होना चाहिए, बाजार भाव क्या हो ? क्या सर्किल रेट केवलमात्र जो स्टैम्प लगती है उसके आधार पर होंगे? वास्तविकता यह है कि स्टैम्प ड्यूटी से बचने के लिए रजिस्टरी

कम में होती है। इसलिए उसका बाजार भाव वर्तमान में क्या है उसके मुताबिक मुआवजा किसानों को मिले। यह एक अत्यन्त ज्वलंत विषय है जो पूरे प्रदेश के भाग्य का फैसला अभी करेगा। फोरलेन आए, रेलवे आए सब कुछ आए। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि जहां-जहां पर विस्थापन हुआ है वहां-वहां लोग आज तक इस बात को झेल रहे हैं। मैं इस मान्य सदन में यह कहना चाहूंगा कि आने वाली पुस्तें, आने वाली पीढ़ियां हमको यह न कहें कि जब सबका काम हो रहा था तो हम लोग मूकदर्शक बनकर यहां बैठे थे। इस सारे विषय में प्रदेश के अंदर जागरूकता नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन इस सारे विषय में जो एक प्रभावित और विस्थापित संघ है, इन लोगों ने एक लम्बा संर्घष छेड़ रखा है और

श्री एस.एल.एस. द्वारा... जारी

09.03.2016/1245/sls-ag-1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ...जारी

जनता के अंदर जागरूकता भी पैदा की है और उन सबकी आवाज को हमने इस माननीय सदन में रखा है। यहां पर इसका कोई-न-कोई रास्ता निकले। यह फैक्टर-2 केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। इसलिए इसमें सर्किल रेट वर्तमान बाजार भाव के मुताबिक बने ताकि हम किसानों को उनकी भूमि का चार गुणा मुआवजा दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इस माननीय सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसमें राजनीतिक कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता चाहता। भूमि अधिग्रहण राजमार्गों के लिए केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं हो रहा है बल्कि यह हरियाणा में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ है जहां पर भाजपा सरकारें शासन कर रही है। वही फार्मूला हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह भू-अधिग्रहण नेशनल हाईवेज के अंतर्गत हो रहा है। अगर वह कोई और फार्मूला लगाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, उसमें हमें ऐतराज नहीं है। पैसा उन्होंने देना है, हमने नहीं देना है। जहां तक मेरी सूचना है उसके मुताबिक राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण भारत सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार वस्तुस्थिति इस प्रकार से है:-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के Section-26 और Section-30 व Schedule I,II,III के प्रावधानो के अनुसार ही Four lane के अन्तर्गत आने वाली भूमि का अधिग्रहण होगा और उक्त प्रावधानो के अनुसार ही मुआवजा दिया जाएगा।

वह कह रहे हैं कि हम उसके अनुसार ही यहां पर भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं।

वर्तमान में मौके पर स्थित ढांचों और जमीन की assessment की जा रही है, जो मुआवजा राशि निर्धारण से पहले होना जरूरी है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -3(e)(i) एवंम 3(e)(ii) के अनुसार राज्य क्षेत्र में अवस्थित भू-अर्जन के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। समस्त उत्तरी राज्यों में फेक्टर रेट समुचित सरकार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक बराबर घोषित किया गया है।

जारी ..गर्ग जी

09/03/2016/1250/RG/AS/1

मुख्य मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात----क्रमागत

उपाध्यक्ष महोदय, में यह भी कहना चाहूंगा कि Land for four lane NHAI Project is acquire under National Highway Act, 1956.

With the passing of the Removal of the difficulty order on 28th August, 2015, the determination of compensation will be as per the 2013, Right to Fair Compensation Act.

Therefore, land for following four lane roads is being done under the method of determination of compensation as per Section 26 and 30 of the 2013 Act, and the first and second Schedule of the 2013 Act.

Kiratpur-Nerchowk

Nerchowk-Kullu

Parwanoo-Solan

Solan-Kathlighat

Kaithlighat-Dhalli

Kullu-Manali two lane

Compensation is given for land and structures. Section 26 of the 2013 Act, stipulates method of determining market rate, where 50% of sale deeds are to be taken into consideration.

As per Schedule-I, market value of land is paid, along with value of structures and factor rate is same in Gujarat, Haryana and Punjab.

State Government is appropriate authority under Section 3(e)(1).

Central Government only notifies factor rate for Union Territories.

100% solatium paid as per Schedule-I.

यह इसके चलने का बेसिक कॉन्सैप्ट है। हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है और मैं इन्डीविजुअली भी चाहता हूं कि जो हमारे किसानों की जमीन नेशनल हाइवेज़ को

बनाने या उनको फोरलेन करने के लिए अधिग्रहीत की जा रही है या जहां देश या प्रदेश के विकास के लिए ये सड़कें बननी आवश्यक हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि जिनकी भूमि

09/03/2016/1250/RG/AS/2

अधिगृहीत की गई है, उनको भी वाज़िब मुआवजा मिले। मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत से मामले हाई कोर्ट में चले गए हैं। कुछ मामले जो हाई कोर्ट में चले गए हैं, हाई कोर्ट उनका

फैसला करेगा। मेरी जानकारी है कि जिस किसान की भूमि वास्तव में जा रही है उनमें से बहुत कम लोग हैं जो आंदोलित हैं। ये कुछ बाहर के राजनीतिक तत्व हैं जो अपनी लीडरी यहां चमकाना चाहते हैं ये वे लोग हैं जो ज्यादा इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर बहुत धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें भी बनें, नेशनल हाइवेज़ भी बनें, फोरलेन भी बनें और हमारे प्रभावित किसानों को मुआवजा भी मिले। धन्यवाद।

09/03/2016/1250/RG/AS/3

उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह जी आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मेरा मकसद तो माननीय मुख्य मंत्री जी से एक ही जानकारी हासिल करना है कि प्रदेश में जब हिमुडा जमीनों का अधिग्रहण करती है, तो सर्कल रेट को नज़र-अन्दाज़ किया जाता है

एम.एस. द्वारा जारी

09/03/2016/1255/AS/MS/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----------

लेकिन जब इस प्रदेश के अंदर किसानों और बागवानों की ज़मीनों को फोर लेनिंग के लिए अधिग्रहण करना हो तो सर्कल रेट उसका माना जाता है। उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी लाना चाहता हूं। आज प्रदेश में एक प्रक्रिया बन चुकी है कि जब कोई व्यक्ति ज़मीन को प्राइवेट आदमी को बेचता है तो यदि उस ज़मीन का 10 लाख रुपया रेट है तो रजिस्ट्री एक लाख रुपया बिस्वा के हिसाब से करता है। आपका सर्कल रेट एक लाख रुपये पर खड़ा हो रहा है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर हिमुडा के लिए अपनाया जा रहा है उसी प्रक्रिया को फोर लेनिंग में जो परिवार विस्थापित हो रहे हैं, उनकी ज़मीनों का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, के लिए भी अपनाया जाए ताकि उन बागवानों/किसानों और उनके अलावा जो दूसरे लाभार्थी हैं, को उचित मुआवजा मिल सके, जिसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं।

09/03/2016/1255/AS/MS/2

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि अभी जो सड़क शिमला से कालका बननी है उसमें जो परवाणु से सोलन और आगे जो काम हो रहा है, उसमें जो काम वहां पर अवार्ड हुआ हैं National Highway Authority of India has gone in appeal against that और जगह भी ऐसा हुआ होगा तो वे भी अपील में जाएंगे और फिर मामला कोट्र्स में फसा रहेगा। मैं तो आपके साथ हूं। अगर कोई और फार्मूला आप मुझे समझाते हैं जिससे लोग खुश हो सकते हैं, मैं आपकी प्लीडिंग करूंगा। I will speak for you. मगर साथ में मैं समझता हूं कि जब शुरू में ये फोर लेनिंग का काम शुरू हुआ था या लैण्ड एक्वीजिशन का काम शुरू हुआ था तो लोगों ने इसमें खुशी-खुशी से अपना योगदान दिया। फिर बीच में बिचौलिए आ गए। जिन्होंने उन लोगों को बहकाया, उनकी उम्मीदों को ज्वलन्त किया और कहा कि ये इतना क्यों है आपको तो इतना मिल सकता है या इतना मिलना चाहिए। ये वे लोग हैं जिनको हम

पहाड़ी भाषा में "खोखसूभाट" कहते हैं। जिनका किसी मामले में अपना कोई लेना-देना नहीं है मगर दूसरों के झगड़ों में पड़कर अपनी लीडरी चमकाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें वैसी बात नहीं होनी चाहिए। We must come with a concrete formula अगर हम समझते हैं । I am with the people जिनकी ज़मीन जा रही है। । I am with the people मगर ऐसा नहीं है कि We ask for a sky जो होने वाली चीज नहीं है और उसका नतीजा यह होगा कि न तो आपको मुआवजा मिलेगा, न आपकी ज़मीनें जाएंगी और न सड़कें बनेंगी। So let us have a very considerate view on this matter. It is not a matter for any rash decision.

09/03/2016/1255/AS/MS/3

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसा मैंने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के अंदर प्रावधान किए गए हैं और जिस-जिस जगह पर लगता है कि उन प्रावधानों की अवहेलना की गई है, क्या प्रदेश सरकार उन प्रावधानों को कि मुआवजा किसानों/बागवानों को उसके मुताबिक मिले, के लिए दबाव बनाएगी? उसमें एक तो यह है जो लोगों का कहना है। दूसरे, उन्होंने कहा कि नये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार जो अपील संबंधी ऑथोरिटी बनाई गई है, जैसे कहा गया है कि अब तक भी अवहेलना की है, वह अपील संबंधी ऑथोरिटी भी केवल-मात्र कागजों तक सीमित है, वह भी अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है। वह जो अपील संबंधी ऑथोरिटी है, वह भी ठीक तरह से ईमानदारी से काम करे, क्या उस पर प्रैशर बनाएंगे? इसके साथ एक और बात यह है कि उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे ऑथोरिटी व प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में नये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत जिन प्रावधानों का उल्लंघन किया है, उनमें नेशनल हाईवे ऑथोरिटी को मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया में उचित मुआवजा, पारदर्शिता, पुनर्स्थापन व पुनर्वास के संवैधानिक प्रावधानों का पालना करना था। सोशल इम्पैक्ट सर्वे के साथ ही पुनर्स्थापन व पुनर्वास के प्रावधानों की व्यवस्था,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

09.03.2016/1300/जेएस/डीसी/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः-----**जारी**------

की व्यवस्था 3-ए की प्रारम्भिक नोटिफिकेशन के साथ ही अलग नाटिफिकेशन जारी करके की जानी थी जो कि उनके द्वारा की नहीं गई, क्या उसको करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले? फिर अब जो 3-डी लागू हुई है ,उसके लागू होने के साथ ही सरकार उस भूमि की मालिक बन गई है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय इस बिल के मुताबिक उन्होंने कहा कि नये भूमि अधिग्रहण बिल के शड्यूल-।,॥ और ॥। में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मुआवज़ा रोजगार पुर्नवास और पुर्नस्थापना का प्रावधान है उसके बारे में कहा गया है कि जहां तक भूमिहीन होने पर भूमि के बदले में भूमि, घर के बदले घर, मूलभूत संरचना के अतिरिक्त आर्थिक भत्ते व नौकरी तथा यातायात भत्ते तक की व्यवस्था है। आगे यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए विशेष आर्थिक प्रावधान लागू किए जाएं। यही नहीं प्रभावितों को हर प्रकार की राहत देने के बाद ही सरकार भूमि पर कब्ज़ा करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार कब्ज़ा तभी करेगी जब ये जो प्रावधान दिए गए हैं कि भूमि के बदले भूमि, घर के बदले घर यानि ये सब प्रावधान करगी तभी सरकार कब्ज़ा करेगी। क्या इन सब प्रावधानों को आप करेंगे?

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि जो भी यहां पर भूमि अधिग्रहण की जा रही है ये नेशनल हाई वेज़ अथौरिटी एक्ट के मुताबिक की जा रही है और जो बाद में कम्पन्सैशन मिलेगा, that will be as per the Notification of 2013.

09.03.2016/1300/जेएस/डीसी/2

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से एक निवेदन किया था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस एक्ट के मुताबिक नेशनल हाई वे अथौरिटी अपना काम कर रही है । लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो अनभिज्ञ हैं, क्या राजस्व विभाग उनकी मदद करेगा ताकि मनमाने ढंग से न चलें और जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई भूमिहीन है, कोई गृहहीन है उनको पैकेजिज मिलने है। मूल्यांकन हो रहा है, टेण्डर हो रहे हैं

और जो पी0पी0पी0 मोड़ का प्रावधान है उसमें लोगों की भागीदारी आवश्यक है, प्रभावितों की भागीदारी आवश्यक है। क्या राजस्व विभाग को ऐसे आदेश देंगे कि ऐसे लोगों को विभाग सहयोग दें ताकि उनको उचित पैसा मिले।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। उनके जो हक-हकूक हैं वह अलग बात है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लैंड एक्युजिशन है यह नेशनल हाई वेज अथॉरिटी एक्ट के अन्तर्गत किया जा रहा है। जहां तक सर्कल रेट की बात है। सर्कल रेट लोगों से बातचीत करके, फिर नोटिफाई करके सर्कल रेट कायम किया गया है। It is not done by sitting in somebody's office, जो प्रभावित पार्टीज हैं उनको सुनकर, उनके ऑब्जैक्शन्ज ले कर और उनके प्वाईंट ऑफ व्यूज को लेकर उसके बाद सर्कल रेट को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग इकट्ठे मिल कर जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे।

09.03.2016/1300/जेएस/डीसी/3

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि यह प्रश्न कोई पार्टी बेस्ड नहीं है। इसमें कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है । जिस घास की आपने बात की हम उस घास के रूप में यहां नहीं बैठे हुए हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी आप क्लैरिफिकेशन पुछिए।

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं .....(व्यवधान).....

मुख्य मंत्री अंग्रेजी में श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

Chief Minister: I am more serious than you about this matter. You are trying to exploit this matter for your own purpose.

श्री महेन्द्र सिंहः मैं मुख्य मंत्री जी, आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

मुख्य मंत्रीः हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए कि जिनकी जमीन जा रही है उनको उचित मुआवजा मिले और हमारी नेशनल हाईवे की फोरलेनिंग जल्दी-से-जल्दी कम्प्लीट हो। यह राज्य के हित में है। हम यह भी चाहते हैं कि जिनकी जमीन जा रही है उनके साथ न्याय हो और उनको उचित मुआवजा मिले। इस बात को कौन नहीं चाहता है?

श्री महेन्द्र सिंहः हम आपकी अथोरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम आपकी अथोरिटी को चैलेंज कर रहे हों तब तो अलग बात है। लेकिन हम आपके ध्यान में ला रहे हैं कि यह जो भारत सरकार का राजपत्र है इसमें जो-जो सैक्शन्ज़ ली हुई हैं क्या आप उनको पूरा कर रहे हैं? अगर उनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या आप उनको पूरा करेंगे?

नम्बर-2, आप इसको अदरवाइज़ ले रहे हैं। जो 3(D) है उसमें यह है कि एन0एच0ए0आई0 वालों ने एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐट पार कर लिया है। उसमें न कोई अपील है और न कोई दलील है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जहां पर जमीन एक्वायर कर चुके हैं और लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला है क्या आप दोबारा से उस पर पुनर्विचार करेंगे कि यह जो मुआवजा दिया गया है यह उचित नहीं है? क्या आप उस 3(D) को विदड्रा करेंगे? हम आपसे यह स्पैसिफिक जानना चाहते हैं।

Chief Minister: What I am advised is that interest will be paid on Government Of India Notification of 3(A). It is 3(A) not 3(D).

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक लंच के लिए 2:00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

09.03.2016/1410/केएस/एजी/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजन के उपरांत अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अपराह्न 2.10 बजे पुनः आरम्भ हुई)

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। श्री रिखी राम कौंडल जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें तथा माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जवाब देंगें।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 29 फरवरी, 2016 को पंजाब केसरी समाचार पत्र में छपे समाचार- "विद्युत उप-मण्डल, तलाई के अन्तर्गत जोहड़ कालसां में बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रही लो-वोल्टेज़" से उत्पन्न स्थिति की ओर बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे इस महत्वपूर्ण विषय को लगाया । अगर वोल्टेज़ की समस्या किसी गांव के अंदर आज भी बनी हो और जैसे समाचार पत्र में लिखा गया है कि "दीये की रोशनी में पढ़ाई करने को मज़बूर बच्चे" तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार की पारदर्शिता कितनी है और विभाग इसके प्रति कितना गम्भीर है। अध्यक्ष जी, पंचवर्षीय योजनाएं बनती रही, हर पंचवर्षीय योजना में जो भी सरकार आई, उसने चाहे बिजली का क्षेत्र हो चाहे पानी का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो उससे सम्बन्धित विभाग के मंत्री ने कार्य किया है। इस प्रदेश में बिजली की बहुत ज्यादा समस्या थी। दीये की रोशनी से, मशालों की रोशनी से लोग जाते थे। आज सारे प्रदेश में बिजली का विस्तार हुआ । जो मौजूदा सरकार है, किसी हद तक मैं उसको भी दोषी नहीं मानता। जैसे-जैसे राजनीतिक परिवेश में विधायक

बदलते रहते हैं, अब इस गांव की

09.03.2016/1410/केएस/एजी/2

वस्तुस्थिति पर मैं चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि वहां वोल्टेज की समस्या खड़ी हुई है। जैसे-जैसे राजनीति बदलती है, सरकारें बदलती है, पिछली सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का दायित्व वर्तमान सरकार पर होता है । विधायक प्राथमिकता जिसकी भी हो, प्रजातंत्र में जो दूसरा विधायक आए, उसे उस प्राथमिकता को आगे बढ़ाना चाहिए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.3.2016/1415/av/ag/1

श्री रिखी राम कौंडल क्रमागत

मगर इस प्रदेश में कुछ वर्षों से एक ऐसा वातावरण शुरू हो गया है कि जिस विधायक की प्राथमिकता हो वह दूसरा विधायक जब आता है तो उस प्राथमिकता को बदलता है। इस तरह से यह एक गम्भीर समस्या उत्पन्न होती है।

इस प्रदेश के अंदर जहां तक बिजली विभाग की कार्य प्रणाली है तो पहले सैशन के दौरान विद्युत विभाग और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा होती थी। मगर पिछले सत्र में चर्चा नहीं हुई। इस प्रदेश के अंदर जैसे-जैसे विद्युत परियोजनाओं में बिजली का उत्पादन हुआ वैसे-वैसे गांव-गांव में बिजली के वितरण का भी विस्तार हुआ। ऐसे क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई गई जहां पर खच्चर तक नहीं जा सकती थी। हिमाचल प्रदेश के मेहनतकश लोगों ने जो इस बिजली विभाग के अंतर्गत काम करते थे, उन्होंने कंधे पर पोल उठाकर वहां तक बिजली पहुंचाई। मैं इस गांव की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। यह झील के किनारे का गांव है और चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। इस गांव में अधिकतर भाखड़ा डैम से विस्थापित हुए लोग रहते हैं। एक समय ऐसा था कि बिजली भाखड़ा में उत्पन्न हुई तथा उसका लाभ पंजाब और राजस्थान को मिला तथा उसके साथ लगते गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। जब पहली बार माननीय धूमल जी मुख्य मंत्री बनें तो मैंने मुख्यता भाखड़ा, माकड़ी, कोसरियां और कोटधार की

बिजली की समस्या से सम्बंधित विषय उठाये। मैंने कहा कि डैम बनने से सारे बिलासपुर के लोग उजड़े, बिजली बिलासपुर में पैदा हुई और जहां डैम लगा यानि जहां पर बिजली का उत्पादन हुआ वहां साथ लगते गांव में बिजली नहीं है। उस समय की सरकार ने संज्ञान लिया और वहां उन गांवों में बिजली पहुंचाई। मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि इस गांव में आज से तीन

9.3.2016/1415/av/ag/2

साल पहले बिजली की कम वोल्टेज की कोई समस्या नहीं थी। मैं यह पूछना चाहूंगा कि आज वहां पर बिजली की कम वोल्टेज की समस्या क्यों खड़ी हुई? गांव में राजनीतिक प्रभाव के लोग कभी किसी लाइन को उधर से कटवा देते हैं और किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मर से जोड़ देते हैं। इसी कारण से टिहरी से जोहड़-कालसां को जो हमारी लाइन आती थी उस लाइन को वहां से डिसकनैक्ट किया और उन प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने गांव से जोड़ा जिस कारण से वहां तीन साल से बिजली की कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। ऐसे ही मेरे चुनाव क्षेत्र में 8-10 गांव और भी हैं। अगर आगे कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत बिजली विभाग की चर्चा आयेगी तो उस दौरान मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा। आज भी अगर समाचार पत्र वाले इस बात को उजागर करें कि बिजली की कम वोल्टेज की समस्या तीन साल से बनी हुई है और बच्चे दिये की रोशनी में पढ़ रहे हैं तो वहां के विधायक के लिए भी शर्म की बात है तथा इस सरकार के लिए उससे ज्यादा शर्म की बात है। क्या वहां के अधिकारी केवलमात्र कागजों तक ही अपनी परियोजनाओं को रखते हैं? कभी फील्ड में जाकर वे यह नहीं देखते कि किस-किस गांव में क्या-क्या समस्या बनी हुई है। मैंने जब नोटिस दिया और मेरी माननीय मंत्री जी से इस बारे में चर्चा हुई तो मैं उसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने मुझे उस समय स्पष्ट कहा कि कौंडल जी, आप मुझे इस समस्या के बारे में पहले बता देते तो मैं इसका हल ऐसे ही कर देता। मगर मैंने कहा, यह मेरा दायित्व बनता है कि जब इस बारे में समाचार पत्रों में बात आई तो मैं इस विषय को मान्य सदन में उठाऊं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस गम्भीर समस्या को देखते हुए इस गांव में तुरंत एक 25 के0वी0 का ट्रांसफॉर्मर लगाया जाए। उस ट्रांसफॉर्मर के लगने से मलरावं, बेला-बोड़वीं के अतिरिक्त साथ लगते सभी 4-5 गांव में बिजली की कम वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जायेगा।

समाचार पत्र में तो केवल एक जोहड़-कालसां गांव की खबर

9.3.2016/1415/av/ag/3

छपी है। मगर इसके साथ में तीन-चार गांव ऐसे हैं जो छोटे-छोटे क्लस्टर हैं उन गांव में बिजली की समस्या का हल होना चाहिए। यह बड़ा गम्भीर विषय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब माननीय मंत्री जी इस बारे में जवाब देंगे तो उसमें यह आश्वासन देंगे कि आपका काम शीघ्र ही करवा देंगे। जब विभाग जिम्मेदार बनेगा और उसमें पारदर्शिता आयेगी तो लोगों का भी उस विभाग और सरकार के प्रति विश्वास बनेगा। मैंने यहां केवल अपने नोटिस तक ही कनसंट्रेट किया वैसे तो कम वोल्टेज के बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी बात की जा सकती थी। मगर नियम के मुताबिक आपने मुझे जिस विषय को उठाने की अनुमति दी तो मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं केवल उसी विषय को उठाऊं। मैंने बड़ा गम्भीर विषय उठाया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र कोई समाधान निकाला जाए।

मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मंत्री जी का जवाब टी सी द्वारा जारी

09/03/2016/1420/TCV/AS/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि ये वहां के लोकल विधायक। इनको ये बात मुझे 3 साल पहले बता देनी चाहिए थी। वर्तमान में जोहड़-कालसाँ- को विद्युत आपूर्ति 25 के0वी0ए0 सब-स्टेशन टिहरी से दी जा रही है। जिसकी एल0टी0 लाईन लगभग अढ़ाई किलोमीटर है। इसमें 800 मीटर 2 फ़ेज और लगभग 1700 मीटर सिंगल फेज़ एल0टी0 लाईन है। जिसके कारण इस गांव में कम वॉल्टेज़ की समस्या चल रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए परिचालन वृत्त, बिलासपुर की जनरल सर्विस कनैक्शन स्कीम के अन्तर्गत एक नया 25 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन जोहड़-कालसां गांव में लगाया जाएगा। इस स्कीम में 600 मीटर एच0टी0, 270 मीटर सिंगल फ़ेज से थ्री फेज़ का सम्वर्द्धनऔर 165 मीटर नई

एल0टी0 लाईन का प्रावधान है। इस कार्य पर लगभग 7 लाख रूपये की लागत आएगी तथा इस कार्य को वर्ष 2016-17 में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस सब-स्टेशन के चालू होने से जोहड़-कालसां में वोल्टेज़ की समस्या दूर हो जाएगी। यदि यह 2016-17 में नहीं हुआ तो हम इसको मिडल 2017 तक पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 2017 से पहले इसको पूर्ण करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी 2016 चल रहा है और ऐसा न हो कि यह 2017 में ही पूरा करें, तो इसके कारण बच्चे डिप्राईव होंगे। माननीय मंत्री जी इसको शीघ्र पूरा करें। यह एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। इसमें आप विभाग को तुरन्त आदेश करें कि इसका काम जल्दी शुरू करें ताकि बच्चों की पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही है उससे निजात मिल सकें।

09/03/2016/1420/TCV/AS/2

नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा

अध्यक्षः अब नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा होगी। अब नियम-62 के अन्तर्गत श्री महेश्वर सिंह जी दिनांक 4 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 2745 के उत्तर से उत्पन्न विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 4 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2745 के आयुर्वेद मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न स्थिति नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय प्रश्न 'क' 'ख' और 'ग' के अन्तर्गत जो उत्तर सभापटल पर रखा गया है, वह बिल्कुल असत्य है, आधारहीन है और तथ्य को तोड़-मरोड़ कर विभाग ने गुमराह करने का एक कुप्रयास किया है। मैं आगे जाकर अपनी इस बात को सिद्ध करने वाला हूं। महोदय, जो सभापटल पर उत्तर रखा गया है, मैंने उसका गहनता से अध्ययन किया और वह यहां मेरे पास है। इसके 'क' भाग के उत्तर में कहा गया है कि वहां पर जो जगह है, वहां पर

होटल हैं। लेकिन किसी ने वहां पर नाज़ायज कब्जा नहीं किया गया है। होटल मालिक द्वारा नाजायज़ कब्जा नहीं किया गया है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा------ जारी

9.03.2016/1425/RKS/AS/1

श्री महेश्वर सिंह द्वारा ...जारी

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है जो अखाड़ा बाजार को ढालपुर से सड़क जाती है, उसकी वाइफरकेशन मैरीगोल्ड बिल्डिंग के पीछे से जाती है? उसके पीछे यह होटल है और उसी के पीछे आयुर्वेद भवन भी बना है। बीच में 18 बिस्वे का एक टूकड़ा है, जिसकी मालिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। मेरे पास उसकी लेटैस्ट कॉपी है। जो स्वागत द्वार है, वहां इसी होटल मालिक ने इधर-उधर दो बड़े-बड़े लोहे के पिलर बनाएं हैं, जोकि बंद नहीं हैं। उन पिलरों में होटल का नाम अंकित है। ये पिलर किसकी जगह पर है? इसके अतिरिक्त जो 18 बिस्वा जगह है, उसमें 3 दुकानें बनाई हैं, उसके नीचे की जगह 12 विस्वांसी नापी है, जो इसी प्लॉट का अभिन्न अंग है। अगर किसी ने नाजायज कब्जा नहीं किया है, तो यह किसका है और यह सीधा रोलर गेट से जुड़ता है? रोलर गेट और जो स्वागत के लिए पिलर बनाएं हैं वह इतने खुले हैं कि इसके बीच में से लोडिड ट्रक जा सकते हैं। यहां से होटल का सामान जाता है। विभागाधिकारी जो यहां बैठे हैं उनकी जानकारी के लिए मै बतला दूं कि जितना भी मटीरियल बिल्डिंग बनाने के लिए ढोया गया वह कहां से गया? वह इसी रास्ते से ढोया गया है। अगर आपने रोलर गेट लगाया तो क्यों लगाया? आपने उत्तर में जवाब दिया है कि रोलर गेट से आगे फुटपाथ है। कम-से-कम भगवान से डर कर जवाब तैयार किया करो। पूरी सड़क तैयार है, रैम्प है, उस रैम्प से होकर गाड़ी सीधी मुख्य द्वार में जाती है। यह दूरी मुख्य रोड़ से मुश्किल से 100 मीटर की है। 100 मीटर के लिए इतनी चाराजोरी, और असत्य बोलना पड़ रहा है, क्यों ? कहा गया कि वहां फुटपाथ है। पंचकर्म का सामान अंदर आया, कहां से आया, कौन से रास्ते से अंदर आया? यह वही रास्ता है। एक तरफ यह बात मान ली कि वहां पर पार्किंग है। यह

पार्किंग किस की है? इस रास्ते से जाने के लिए कौन रोकता है? क्या यह सार्वजनिक पार्किंग है या कोई होटल मालिक इस रास्ते से किसी दूसरे की गाड़ी आने नहीं देता? इस चीज को कन्फर्म करने की जरूरत है। आपने बड़ी चतुराई से 'ख' भाग का उत्तर दिया। मैं इस उत्तर को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। कहा गया है कि 'रोगी वाहन इत्यादि को भीतर ले

9.03.2016/1425/RKS/AS/2

जाने हेतु वास्तुकार, शहरी योजना के अधिकारी, कुल्लू द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार कुल्लू की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की ओर से प्रावधान किया गया है।' यह मुख्य सड़क कौन सी है? मुख्य सड़क तो वह है जो मैं कह रहा हूं। क्या ढालपुर की भीतर की सड़क मुख्य सड़क है? This is main road. जिससे बसें अखाड़ा बाजार को जाती हैं। यहां पर यह कहा गया है। लेकिन 'ग' भाग में कहा गया कि पार्किंग की ओर से रोलर गेट एवं फुटपाथ का प्रावधान है। परन्तु मुख्य मार्ग ढालपुर बस ठहराव की ओर से जाता है अर्थात जो डी.सी. की गाड़ी नीचे की ओर जाती है उधर से मुख्य द्वार है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी और माननीय मंत्री जी की कुलदेवियां एक ही हैं। दशहरे के उत्सव में वहां 5 कुलदेवियां बैठती हैं। बस स्टैंड के सामने एक गेट लगा है उस गेट में लिखा है राज परिवार की कुल देवियों के बैठने का स्थान। वह गेट देवताओं के लिए है। उस गेट से देवता जाते हैं। जैसे प्राचीन जलेब मण्डी में चलती है, कुल्लू में भी चलती है उसका वह रास्ता है। वह देवी की परिक्रमा का रास्ता है न की आपकी सड़क। लेकिन यह सही है कि ढालपुर से आने वाले लोगों के लिए एक छोटा गेट वहां पर था। पहले भी था क्योंकि इस जगह पर पहले ब्रिटिश काल में पालाघर होता था। पालाघर का मतलब है जहां लोग सरकार की बेगार देने के लिए आते थे उनके ठहरने का स्थान।...(व्यवधान)...राजाओं का अलग था,

श्री एस.एल.एस. द्वारा... जारी

श्री महेश्वर सिंह ...जारी

वह ब्रिटिश सरकार का था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह कुल्लू रियासत का हिस्सा नहीं था, वह ब्रिटिश इलाका कहलाता था। वहां पर गेट था और बाद में वह जगह वन विभाग ने इस्तेमाल की। बाद में यह आयुर्वेद के लिए स्थानांतरित हुई क्योंकि यह प्रोविंशियल गवर्नमैंट की जगह थी। वहां गेट था। मेरे पास उस समय के फोटोग्राफ्स हैं। जब पहले इसकी बाड़-बंदी की गई, रेलिंग लगाई गई तो वहां एक 3 फुट का रास्ता था और नई बिल्डिंग में भी 3 फुट का गेट लगाया गया है। इधर भी रेलिंग थी। प्रभावशाली व्यक्ति क्या नहीं करवाते? बाद में इस साईड की रेलिंग उखाड़ दी। अब वहां एक गेट का पल्ला 3 फुट चौड़ा है और दूसरा 5 फुट चौड़ा है। मैं उस वास्तुकार को बधाई देना चाहूंगा जिसने वह नक्शा तैयार किया कि एक गेट तो 3 फुट का पल्ला और दूसरे को 5 फुट का पल्ला बनाया। जब दशहरा कमेटी की रिवियु मीटिंग 8 दिसम्बर को हुई, मंत्री जी ने मीटिंग में यह विषय उठाया। आप दशहरा कमेटी के अध्यक्ष हैं। उस मीटिंग में कहा कि आयुर्वेद अस्पताल को रास्ता बनना चाहिए। मैंने कहा कि रास्ता तो है, अब कौन सा रास्ता बनाना है? कहा कि पीछे का रास्ता नहीं, आगे का बनना चाहिए। मैंने कहा कि कहां से बनाओगे। कहा कि जो आगे देवता बैठते हैं, वहां बड़े-बड़े स्थान है। जब भी आप कुल्लू जाएं, आप उन्हें देख सकते हैं। गोविन्द जी तो अब भी जाएंगे, देख लेंगे। वहां पर जो देवी-देवताओं के कारदार हैं, कुल देवियों के कारदार हैं, वह बैठते हैं। जैसा हमारा तरीका है, हडिम्बा के यहां प्रश्न लगाया गया और वह चिट्ठी मेरे पास है।

उसमें था कि मंत्री जी, भगवती यहां से गाड़ी नहीं जाने देगी क्योंकि यहां से रोगी वाहन जाता है; इस तरह कल यहां से शव वाहन भी जाएगा। दशहरे के दिन 7 देवता वहां बैठते हैं। उस दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे कहां से निकालोगे? आयुर्वेद मंत्री ने ठीक कहा कि लोग नहीं मरते क्योंकि वहां पंचकर्मा में हवा भरी जाती है। अरे, हॉस्पिटल में आदमी नहीं मरेगा तो कहां मरेगा? यह क्या बात है? हास्पिटल में मृत्यु होती है। फिर उस शव को कहां से ले जाओगे। इसलिए लोगों ने सलाह की और

09.03.2016/1430/sls-dc-2

मेरे समेत यह सलाह हुई। अब वहां एक गेट में ताला लगा दिया है ताकि पिछला रास्ता खुला रहे। फिर कष्ट क्या है? इसको क्यों प्रैस्टिज इसु बनाया जा रहा है? क्यों वहां पर देवताओं के स्थान को अशुद्ध किया जा रहा है? मंत्री जी, वह जगह आगे से भी एक ही किलोमीटर है और जो रास्ता मैं बता रहा हूं, वह भी एक ही किलोमीटर है। इसको देखें और जो सत्यता है उसको कबूल करें। मुझे विश्वास है कि इसमें फिर कोई झंझट नहीं होगा। एक तरफ मौक़ा देखा जाए और निर्णय ले लिया जाए।

अध्यक्ष : अब माननीय सहकारिता मंत्री इसका उत्तर देंगे।

09.03.2016/1430/sls-dc-3

सहकारिता मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 14 साल के वनवास के बाद I am answering on behalf of the Government. Thanks to Hon'ble Chief Minister and thanks to my esteemed elder brother कि जो आज यह विषय इन्होंने नियम-61 के अंतर्गत पूछा है जिसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं संक्षेप में बोलूंगा, इसमें कोई लंबी बात नहीं है। यह विषय हमारा कौमन है। जो वहां पर स्थान है वह हमारी कुल देवियों का है। दशहरे के समय में वहां से जलेब निकलती है और वहां से गुजरती है। जो इन्होंने पीछे के होटल और सड़क की बात की है, उसमें विभाग की जगह पर कब्जा नहीं किया गया है। वहां पर रोलर गेट लगा है जिसमें ताला नहीं है और साथ में वॉकिंग पाथ भी है। मेरे पास उसका नक्शा भी है, आप चाहेंगे तो मैं उसे यहां पर lay कर दूंगा। यह नक्शा उन्होंने पास करवाया है और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग से पास है। लेकिन मेरी चिंता भी उतनी ही है। जो दैवी का स्थल है, वहां पर जो गेट है, वह लैफ्ट में है। वहां से जाकर राईट में हास्पिटल का गेट आता है। उसके सामने फुटपाथ है। पीछे देवी की जगह रहती है। हम देवी के स्थान को बिल्कुल नहीं छूएंगे। वहां पर जो गेट हे, उसमें ताला किसने लगाया, यह मैं नहीं जानता। वह गेट बड़ा है। उसमें पीछे की पूरी जगह छोड़ी जाएगी ताकि वह देवी के काम भी आए और जलेब के काम भी आए।

जारी ..गर्ग जी

09/03/2016/1435/RG/DC/1

सहकारिता मंत्री-----क्रमागत

सामने गेट है उसके सामने फुटपाथ नहीं बल्कि जीपेबल रोड है, वहां गेट लगा देंगे। देवी का स्थान डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वहां से अब ऐम्बूलेंस आए, वैसे तो आयुर्वेदा अस्पताल में ऐसा नहीं है कि वहां किसी की मृत्यु होती हो, यह मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन यदि बॉडी आए, तो वहां से आ जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। साथ में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, **but I assure कि देवी के स्थान को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा और साथ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से गेट बना दिया जाएगा**। यदि आप चाहें, तो मेरे पास नक्शे की यह जीरॉक्स कॉपी है, I lay on the Table of the House.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी-अभी मान्यवर मंत्री महोदय ने कहा कि रोलर गेट है, बंद नहीं किया है। तो उधर से गाड़ी ले जाने को क्या कष्ट है? दो-दो रास्ते क्यों चाहिए? क्यों ढालपुर मैदान की शक्ल को बिगाड़ना है? क्यों एस.पी. के कंपॉउन्ड को काटना है? ये स्वयं कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। जब वहां पैदल जाने का रास्ता है, तो फिर और चीजों की आवश्यकता कहां है? इसके अतिरिक्त क्या कारण है कि इस गेट का एक दरवाजा तीन फुट चौड़ा और दूसरा पांच फुट चौड़ा है। वह किसने शरारत करवाई? कष्ट क्या है जब आप कहते हैं कि it is a public place. There is no encroachment. A truck can go by that way then why to disturb the ground?

सहकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो गेट बना है उसको बंद नहीं किया गया। वह एक गेट है जब एक पुलिस अधीक्षक की गाड़ी जा

सकती है तो साथ में दूसरी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना यह है कि जो वह स्थान है वह सरकारी जगह है।

09/03/2016/1435/RG/DC/2

सहकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना यह है कि होटल मालिक ने कब्जा किया है। हमारे विभाग ने कोई कब्जा नहीं किया है। Let the Government decide on that. मैंने तो कब्जा नहीं किया, मैंने तो रोका ही नहीं। मैं तो चाह रहा हूं कि आयुर्वेदा का सामने गेट हो, हम देवी का स्थान डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आमने-सामने गेट आएगा जो, I lay on the table of the House.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर दूसरे ने जब गेट बना दिया है, उसको कब्जा कर लिया है और वहां से रास्ता बना लिया है।

सहकारिता मंत्री : अब उसने कहां कब्जा किया है, मेरे विभाग ने तो कब्जा नहीं किया है, वह मेरे विभाग का कब्जा नहीं है।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी ऑब्जरवेशन सही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। ----(व्यवधान)----जब वहां कब्जा नहीं किया, सरकार जब मान रही है, तो दूसरे गेट की वहां क्या जरूरत है?

Cooperation Minister : Let it start. मैंने कब रोका है? हम दोनों गेट यूज़ करेंगे। क्यों न लगाया जाए? गेट लगाया जाए, सामने गेट लगेगा for the facility of the public. जब पुलिस अधीक्षक की गाड़ी अंदर जा सकती है, एस.पी. का अलग है, अपने-अपने गेट खोलें, मैंने आदेश दे दिए हैं, अब वहां गेट खुलेगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप वैरीफाई करा लीजिए कि रास्ता जायज़ है, सरकारी भूमि बच जाए और उस पर दखलन्दाज़ी न हो। आप यह एन्श्योर कीजिए।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 10 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 09 मार्च, 2016 **सचिव ।**